

राजस्थान-सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, ब्यावर

खनिज-भवन / Khanj Bhawan 18-19, नाकोडा कॉलोनी, उदयपुर रोड, ब्यावर / 18-19 Nakoda Colony, Udaipur Road, Bawar (Raj.)  
Email: mc.bawar@rajasthan.gov.in

क्रमांक : खअ/ब्यावर/अना/2023/ 14

दिनांक :- 06.10.2023

प्रेषित :-

श्रीमान पर्यावरणीय अभियन्ता एवं क्षेत्रिय अधिकारी,  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,  
किशनगढ़

विषय:- ऑरिजनल एप्लीकेशन संख्या 62/2023 (CZ) एवं 306/2023-PB अन्तर्गत  
संयुक्त कमेटी रिपोर्ट के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संयुक्त कमेटी निरीक्षण दिनांक 19.08.2023 के दौरान निकट ग्राम बरल-2 तहसील विजयनगर जिला ब्यावर में अवैध खनन होना पाया गया, जिस पर कार्यालय पत्र दिनांक 21.08.2023 से सहायक खनि अभियन्ता व खनि कार्यदेशक, कार्यालय हाजा को उक्त क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण रोकथाम हेतु पाबन्द किया गया है। उक्त क्षेत्र में सहायक खनि अभियन्ता व खनि कार्यदेशक द्वारा समय-समय पर अवैध खनन/निर्गमन रोकथाम हेतु चैकिंग की गई। मौका रिपोर्ट दिनांक 24.08.2023 व 14.09.2023 अनुसार वक्त चैकिंग दौरान मौके पर कोई भी वाहन, मशीनरी, व्यक्ति बजरी का खनन एवं परिवहन करते हुए नहीं पाया गया। ना ही मौके पर पर खनन करने के निशान एवं वाहनों के निशान पाये गये।

यहां यह उल्लेखनीय है कि खनन पट्टाधारक श्री विक्रमादित्य राठौड़ के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा वास्ते खनिज बजरी की अवधि दिनांक 25.07.2023 को समाप्त हो जाने के कारण सहायक खनि अभियन्ता व खनि कार्यदेशक, कार्यालय हाजा को कार्यालय पत्र दिनांक 25.07.2023 से उक्त क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम हेतु पाबन्द किया गया। इसके अतिरिक्त खारी नदी क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण रोकथाम हेतु निकट ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला ब्यावर में दिनांक 14.08.2023 से चैक पोस्ट स्थापित की गई। कार्यालय क्षेत्राधिकार की तहसील विजयनगर जिला ब्यावर में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण रोकथाम कार्यवाही करते हुए वर्ष 2017-18 से अगस्त 2023 तक अवैध निर्गमन के 55 व अवैध खनन के 2 प्रकरणों में जुर्माना राशि रू 22.71 लाख की वसूली कर 05 प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई। श्रीमान को सूचनार्थ प्रेषित है।

सलंगन:- उरोक्तानुसार।

भवदीय

खनि अभियन्ता,  
ब्यावर  
6/10/23

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, ब्यावर

खनिज-भवन / Khanij Bhawan 18-19, नाकोडा कॉलोनी, उदायपुर रोड, ब्यावर / 18-19 Nakoda Colony, Udaipur Road, Beawar (Raj.)  
Email: me.beawar@rajasthan.gov.in

दिनांक :- 25/07/2023

क्रमांक : खअ / ब्यावर / बजरी / 2023 / 76-77

प्रेषित:-

1. सहायक खनि अभियन्ता,  
कार्यालय हाजा।
2. खनि कार्यदेशक  
कार्यालय हाजा।

विषय:- खान पट्टा क्षेत्र 544.03 हैक्टर जिला भीलवाड़ा की तहसील हुरड़ा एवं जिला अजमेर तहसील हुरड़ा व मसूदा में स्थित गैर मुमकिन नदी नालों में खनिज बजरी श्री विक्रमादित्य राठौड़ के पक्ष में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक खअ/भील/सीसी3/खप119/2012/843 दिनांक 25.07.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम लेख है कि कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा क्षेत्राधिकार में खान पट्टा संख्या 119/2012 क्षेत्रफल 544.03 हैक्टर जिला भीलवाड़ा की तहसील हुरड़ा एवं जिला अजमेर की तहसील मसूदा में स्थित गैर मुमकिन नदी नालों में खनिज बजरी श्री विक्रमादित्य राठौड़ के पक्ष में स्वीकृत उद्यत खान पट्टे में आने वाले खसरे जो कि इस कार्यालय क्षेत्राधिकार के विजयनगर तहसील जिला अजमेर के ग्राम जालिया-गा, जालिया-गा, बगर व चौसला आते हैं, जिसकी अवधि दिनांक 25.07.2023 को पूर्ण हो रही है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त क्षेत्र में नियमित चैकिंग कर खनिज बजरी के अद्वैत खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रतिदिन अवगत करावें।

खनि अभियन्ता,

ब्यावर

25/7/23

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, ब्यावर

खनिज-भवन / Khanj Bhawan 18-19, नाकोडा कॉलोनी, उदयपुर रोड, ब्यावर / 18-19 Nakoda Colony, Udaipur Road, Beawar (Raj.)  
Email: mc.beawar@rajasthan.gov.in

क्रमांक : खअ/ब्यावर/अना/2023/109-110

दिनांक :- 21/08/2023

प्रेषित:-

सहायक खनि अभियन्ता,  
कार्यालय हाजा।खनि कार्यदेशक  
कार्यालय हाजा।विषय:- ओरिजनल एप्लीकेशन नं. 263/2023 मीनू कंवर राठौड़ विरुद्ध  
राजस्थान राज्य के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली के ओरिजनल एप्लीकेशन नं. 263/2023 श्रीमती मीनू कंवर राठौड़ बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में आदेश दिनांक 31.07.2023 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना के क्रम में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 19.08.2023 को शिकायत में उल्लेखित क्षेत्रों की जांच की गई। जांच के दौरान निकट ग्राम बरल-II तहसील विजयनगर जिला ब्यावर के नदी क्षेत्र में खनिज बजरी का अवैध खनन होना पाया गया।

अतः प्रकरण में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त क्षेत्र में खनिज बजरी का अवैध खनन/निर्गम/भण्डारण रोकथाम हेतु नियमित रूप से चैकिंग कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही भय रिपोर्ट से प्रतिदिन अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।


खनि अभियन्ता, 21/8/23  
ब्यावर

dc/Amr

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, खनिज भवन, भीलवाड़ा (राज.)  
{0e-mail ID : me.bhilwara@rajasthan.gov.in}

—: तथ्यात्मक प्रतिवेदन :-

- जिला भीलवाड़ा की तहसील हुरड़ा एवं जिला अजमेर की तहसील मसूदा के राजस्व गांवों में गैर मुमकिन नदी, नालों, बालों से (खसरे के अनुसार) निकलने वाला खनिज बजरी क्षेत्रफल 544.03 हैक्टेयर का खनन पट्टा श्री विक्रमादित्य राठौड़ पुत्र श्री मनपथ सिंह राठौड़ निवासी 230, राजपूत बस्ती, शिखरानी तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज.) के पक्ष में शासन के आदेश क्रमांक प.10(10)खान/गुप-2/2013 जयपुर दिनांक 19.12.2013 द्वारा क्षेत्र में खनन कार्य करने हेतु अस्थाई कार्यानुमति दिनांक 28.02.2014 तक के लिये जारी की गई। जिसका संविदा निष्पादन दिनांक 23.12.2013 को हुआ। अस्थाई कार्यानुमति धारक द्वारा दिनांक 23.12.2013 से क्षेत्र में खनन कार्य प्रारम्भ किया गया।
- शासन के आदेश क्रमांक प.10(10)खान/गुप-2/2013 जयपुर दिनांक 24.05.2017 द्वारा उक्त खनन पट्टा अवधि दिनांक 23.12.2013 (अस्थाई कार्यानुमति के तहत खनन कार्य प्रारम्भ की तिथि) से दिनांक 22.12.2018 तक के लिये स्वीकृत किया गया। पट्टाधारी द्वारा दिनांक 16.11.2017 तक खनन कार्य किया गया।
- शासन के आदेश क्रमांक प.10(10)खान/गुप-2/2013 जयपुर दिनांक 02.05.2022 (परिशिष्ट-1) द्वारा खनन पट्टा अवधि दिनांक 17.11.2017 से दिनांक 22.12.2018 तक (अवधि 13 माह 06 दिन) कब्जा सम्भालाये जाने की दिनांक से बढ़ाई गई। उक्त खनन पट्टा पूरक संविदा निष्पादन की दिनांक 20.06.2022 से 13 माह 06 दिवस अर्थात् दिनांक 25.07.2023 के लिये प्रभावी रहा। वर्तमान में उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की अवधि समाप्त हो चुकी है।
- इस प्रकार उक्त खनन पट्टे की अवधि दिनांक 23.12.2013 से 16.11.2017 तथा 20.06.2022 से 25.07.2023 तक वैध रही।
- उक्त खनन पट्टा अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 12 के अनुसार खनिज बजरी में नदी क्षेत्र के खसरा वार क्षेत्र का सीमांकन (परिशिष्ट-2) कर आवंटन की कार्यवाही की गई। उक्त नियम निम्नानुसार हैं (परिशिष्ट-3) :-  
"12. Prerequisites for e-auction of mineral concession.- The area where a mineral concession is proposed to be granted through auction, prior to issuance of notice inviting bid, the Government shall identify and demarcate the area using global positioning system or global navigation satellite system and the area so demarcated shall be classified into forests land and government land: Provided that in case of mineral bajri (river sand), identification and demarcation of the area may be done by using global positioning system or global navigation satellite system or khasra-wise."
- उक्त खनन पट्टा की तहसील क्षेत्र हुरड़ा में दिनांक 17.11.2017 से 19.06.2022 तक खनन पट्टा बन्द अवधि के दौरान अवैध खनन, निर्गमन एवं भण्डारण के 66 प्रकरणों में 67.60 लाख वसूल किये गये एवं 14 एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।
- खनन पट्टे की माईनिंग स्कीम अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक अखअ/भील-वृत/सीसी.1/बजरी/भील/2012/932-938 दिनांक 27.02.2023 (परिशिष्ट-4) से वर्ष 2023-24 की अवधि हेतु स्वीकृत किया गया। जिसमें संलग्न सारणी (परिशिष्ट-5) अनुसार 290.144 हैक्टर क्षेत्र में खनन होना एवं लीज अवधि तक 362.69 हैक्टर क्षेत्र में संभावित खनन होना बताया गया है।
- मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 28.01.2023 (परिशिष्ट-6) के अनुसार पट्टाधारी द्वारा खनिज बजरी के निर्गमन पर नियमानुसार 56/- प्रति टन की दर से रॉयल्टी, डीएमएफटी व आरएसएमईटी का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त पट्टाधारी द्वारा स्थापना खर्च (Establishment Expenditure), ट्रांसपोर्टेशन, प्रिमियम, लोडिंग चार्ज खनिज की कीमत के तौर लिया गया है जो कि पूर्णतया पट्टाधारी के नियंत्रण में है।
- उक्त खनन पट्टा क्षेत्र का किये गये संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 17.07.2023 अनुसार स्वीकृत क्षेत्र में अनुमत गहराई में ही खनन कार्य होना पाया गया।

  
(जिनेश कुमार)  
खनि अभियन्ता,  
भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, खनिज भवन, भीलवाड़ा (राज.)  
{e-mail ID : me.bhilwara@rajasthan.gov.in}

—: तथ्यात्मक प्रतिवेदन :-

- जिला भीलवाड़ा की तहसील हुरड़ा एवं जिला अजमेर की तहसील मसूदा के राजस्व गांवों में गैर मुमकिन नदी, नालों, बालों से (खसरे के अनुसार) निकलने वाला खनिज बजरी क्षेत्रफल 544.03 हैक्टेयर का खनन पट्टा श्री विक्रमादित्य राठौड़ पुत्र श्री मनपथ सिंह राठौड़ निवासी 230, राजपूत बस्ती, शिखरानी तहसील मसूदा जिला अजमेर (राज.) के पक्ष में स्वीकृत रहा। वर्तमान में उक्त खनन पट्टा क्षेत्र की अवधि समाप्त हो चुकी है। जिसकी अवधि दिनांक खनन पट्टे के सीमांकन रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।
- खनन पट्टे की माईनिंग स्कीम अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक अखअ/भील-वृत/सीसी.1/बजरी/भील/2012/932-938 दिनांक 27.02.2023 से अनुमोदित की गई। जिसमें वर्णित सारणी 12.3 अनुसार प्रतिवर्ष 6000 वृक्षारोपण किया जाना है। (प्रति संलग्न)
- खनन पट्टा क्षेत्र में पट्टाधारी द्वारा अस्थाई ग्रे-ब्रिज स्थापित किया गया।
- खनन पट्टे की माईनिंग स्कीम अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक अखअ/भील-वृत/सीसी.1/बजरी/भील/2012/932-938 दिनांक 27.02. से वर्ष 2023-24 की अवधि हेतु स्वीकृत किया गया। जिसमें संलग्न सारणी अनुसार 290.144 हैक्टर क्षेत्र में खनन होना एवं लीज अवधि तक 362.69 हैक्टर क्षेत्र में संभावित खनन होना बताया गया है। (प्रति संलग्न)

(3) 04/10/2023  
(मैंवर लाल लबाना)  
खनि अभियन्ता,  
भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट भिनाय जिला-केकडी

क्रमांक / उअभि / राजस्व / 2023 / 4184

दिनांक :- 04/10/2023

निमित्त :-

पर्यावरणीय अभियन्ता एवं क्षेत्रिय अधिकारी  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल  
रिको ओद्योगिक क्षेत्र किशनगढ  
अजमेर

विषय :- Joint Inspection Report Of The Committe द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत करने बाबत।

प्रसंग :- आपके कार्यालय पत्रांक रा.प्रा.नि.म./क्षे.का.किश./3052-3059 दिनांक 18.09.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रारम्भिक पत्रानुसार Joint Inspection Report Of The Committee(NGT) के सम्बन्ध में तहसीलदार भिनाय एवं थानाधिकारी पुलिस थाना भिनाय से प्राप्त अनुसार-  
विन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

01. यह है कि संबंधित ग्रामो मे नदी के आस पास के कच्चे मार्ग वाहनो के आवागमन से क्षतिग्रस्त हो रखे है।
02. यह है कि उपस्थित ग्रामवासियो से जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ की नदी के बीच में से किसी भी प्रकार के पेडो की कटाई नही की जा रही हे। साथ ही इस कार्यालय में पेडो की कटाई संबंधी कोई शिकायत आज दिनांक तक अप्राप्त हैं और ना ही इस कार्यालय द्वारा किसी को भी पेड काटने संबंधी कोई स्वीकृति जारी की गई है।
03. यह है कि नदी में स्थित खुले कुओं की जानकारी निम्नानुसार है जो राजस्व रेकार्ड के अनुसार गैर-खातेदारी दर्ज है :-  
ग्राम बडली :-
  - प्रेमदेवी पत्नि दुर्गालाल जाति ब्राहमण वगैरह खाता संख्या 1214 खसरा न0 6320/5569 किस्म गै0 मु0 चाह रकवा 0.01 हैक्टेयर।
  - नारायण पुत्र हीरा गुर्जर वगैरह खाता संख्या 1239 खसरा न0 6513/5439 किस्म गै0मु0 चाह रकवा 0.01 हैक्टेयर।
  - बदाम देवी पत्नि लादूराम जाति जाट वगैरह खाता संख्या 1215 खसरा न0 6319/5569 किस्म गै0मु0 चाह रकवा 0.01 हैक्टेयर।
04. यह है कि नदी के मध्य से होकर दूसरी तरफ के ग्रामो में जाने वाले कच्चे रास्ते बने हुए है जो कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा किसी प्रकार की कोई पक्की सडक नदी के मध्य स्थित नही है।
- 05 यह है कि पुलिस थाना भिनाय द्वारा ओवरलोड वाहनो परीक्षणों द्वारा नदी की रेत में परिवहन करने पर अवैध वजरी परिवहन के अन्तर्गत पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किया जाता है और ओवरलोड वाहनो के विरुद्ध कार्यवाही इन्टरसेप्टर गाडी द्वारा किया जाता है।

Signature valid

Digitally signed by Mik Saran Choli  
Designation: Sub Divisional Officer  
Date: 2023.10.04 11:09:30 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4841293



पुलिस थाना भिनाय द्वारा अवैध बजरी परिवहन पर की गई कार्यवाही निम्न प्रकार है-

क. स.	वर्ष	दर्ज प्रकरणों की संख्या	गिरफ्तार मुल्जिमों की संख्या	जप्त माल का विवरण
1	2022	9	13	396 टन अवैध बजरी
2	2023	5	9	25 टन अवैध बजरी

रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार

(विकास पंचौली)  
उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय जिला-केकडी

Signature valid

Digitally signed by Vikas Pancholi  
Designation: Sub Divisional Officer  
Date: 2023.10.04 12:09:30 IST  
Reason: Approve

RajKaj Ref No. : 4841293



राजस्थान-सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, सावर

खनिज-भवन, बालाजी मार्बल के पीछे, अजमेर रोड, सावर (राज.) Email:- ame.sawar@rajasthan.gon.in

क्रमांक-सखअ/सावर/बजरी/2023/386

दिनांक:- 04/10/2023

प्रेषित :-

श्रीमान पर्यावरणीय अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अधिकारी,  
राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल,  
किशनगढ़, जिला अजमेर।


विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल के प्रकरण संख्या 62/2023 (CZ) एवं 306/2023 (PP) मीनू कंवर राठौड़ बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 की पालना में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा दिनांक 19.08.2023 एवं 09.09.2023 को किये गये भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट्स में कमेन्ट्स भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- आप श्रीमान के पत्रांक 3052-3059 दिनांक 18.09.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि आप श्रीमान के निर्देशो की पालना में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल के प्रकरण संख्या 62/2023 (CZ) एवं 306/2023 (PP) मीनू कंवर राठौड़ बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 की पालना में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा दिनांक 19.08.2023 एवं 09.09.2023 को किये गये भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट्स के क्रम में अधोहस्ताक्षरकर्ता मय तकनिकी स्टाफ द्वारा मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट दिनांक 09.09.2023 को इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उक्तानुसार।



(पुष्पेन्द्र सिंह)  
सहायक खनि अभियन्ता  
सावर

राजस्थान सरकार  
कार्यालय सहायक खनि अभियंता, सावर  
मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 09/09/23 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा माननीय NGT भोपाल बेंच में दायर OA संख्या 62/2023(CZ) व 306/2023-PB मीनु कँवर राठोड़ बनाम राजस्थान सरकार में उल्लेखित बिन्दुओ के संबंध में मौका निरिक्षण करने बाबत तहसील भिनाय जिला केकड़ी में स्वीकृत बजरी खनन पट्टा संख्या 196/2012 जोकि श्री अभिमन्यु चौधरी के पक्ष में प्रभावी है के ग्राम बडली, गुडा खुर्द, देवलिया कलां, माता जी का खेड़ा आदि क्षेत्रो को जांचा गया |

मौके पर वक्त निरिक्षण ग्राम बडली में केकड़ी - विजयनगर मार्ग पर बजरी खनन पट्टेधारी का एक स्टॉक पॉइंट स्थापित है जहाँ बजरी का भण्डारण किया हुआ है व वे- ब्रिज स्थापित है | उक्त स्थान पर लगभग 14000 टन बजरी भण्डारित मिली | मौके पर नदी क्षेत्र में निरिक्षण के दौरान ग्राम बडली, देवलिया कलां, गुडा खुर्द, माताजी का खेड़ा में बजरी खनन पट्टाधारी द्वारा कोई अवैध खनन कार्य नहीं किया जाना पाया गया | मौके पर उक्त क्षेत्रो में निरिक्षण के दौरान खनन पट्टे के प्रतिनिधि व ग्रामीणो से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त खनन पट्टे में से खनिज बजरी ले जाने पर रॉयल्टी, DMFT व RSMET के पेटे रु 56/- प्रतिटन लिए जा रहे है इसके अतिरिक्त लीज का खर्चा, प्रीमियम, रखरखाव व भराई खर्चा लिया जाता है | एवं अन्य कोई अवैध वसूली नहीं होती पाई गई | मौके पर वक्त निरिक्षण नदी क्षेत्र में कोई बड़े वृक्ष, पेड़ो की कटाई नहीं होना पाया गया है केवल कुछ छोटी झाड़ियाँ है जिनको बजरी खनन से पूर्व नदी से हटाया जाता है | मौके पर खनन पट्टेधारी द्वारा किया गया बजरी के खनन पिट नियमानुसार गहराई तक पाए गए है | मौके पर वक्त निरिक्षण पाया गया कि उक्त क्षेत्र में आस पास के ग्रामीणों द्वारा रात्रि के समय में बजरी का अवैध खनन किया जाता है | उक्त क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण के विरुद्ध कार्यवाहियां की गयी है व वित्तीय वर्ष 2017-18 से आज दिनांक तक कुल 60 प्रकरण बनाये गए व किल 08 मुकदमे दर्ज हुए है व कुल जुर्माना रु 5,47,55,800/- वसूल किए जा चुके है |

मौके पर उक्त खनन पट्टा संख्या 196/2012 का कुल क्षेत्रफल 342.08 हेक्टेयर है जिसमे से वर्तमान में खनन पट्टेधारी द्वारा संविदा निष्पादन, पंजीयन के पश्चात कुल 0.75 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन हुआ है जोकि ग्राम बडली व माता जी का खेड़ा स्थानों पर किया गया है | उक्त खनन पट्टे के अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार प्रथम साल में 855 पौधे लगाने है एवं खनन पट्टेधारी द्वारा दी गयी जानकारी व मौका निरिक्षण के दौरान पाया कि नदी क्षेत्र के आस पास के विधालयो व पंचायत भवनों में खनन पट्टेधारी द्वारा लगभग 1170 पौधे लगवाये है | मौके पर रिपोर्ट बनाई जाकर हस्ताक्षर किये गए |

  
MFE Swar

  
A.M.E. Swar



राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट मसूदा, जिला-ब्यावर

क्रमांक:- न्याय / 2023 / 4725

दिनांक:- 04/10/2023

निमित्त:

पर्यावरणीय अभियन्ता एवं क्षेत्रिय अधिकारी  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल  
रिको औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़  
अजमेर

विषय:- Joint Inspection Report Of The Committe द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत करने  
बाबत।

प्रसंग:- आपके कार्यालय पत्रांक रा.प्रा.नि.म/क्षे.का.किश./ /3052-3059 दिनांक 18.09.2023कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रानुसार Joint Inspection Report Of The  
Committe के सम्बन्ध में तहसीलदार बिजयनगर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना बिजयनगर के  
अनुसार बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

01. यह है कि सम्बन्धित ग्रामों में नदी के आस पास कच्चे मार्ग वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त हो रखे है।
02. यह है कि नदी के बीच में से किसी भी प्रकार के पेड़ों की कटाई नहीं की जा रही है। साथ ही इस कार्यालय में पेड़ों की कटाई संबंधी कोई शिकायत आज दिनांक तक अप्राप्त है और ना ही इस कार्यालय द्वारा किसी को भी पेड़ काटने संबंधी कोई स्वीकृति जारी की गई है।
03. यह है कि नदी में स्थित खुले कुएं निर्मित है जिनका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हैं।
04. यह है कि नदी के मध्य से होकर दूसरी तरफ के ग्रामों में जाने वाले कच्चे रास्ते बने हुए है जो कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है तथा किसी प्रकार की कोई पक्की सड़क नदी के मध्य स्थित नहीं है।
05. यह है कि पुलिस थाना बिजयनगर द्वारा ओवरलोड वाहनों भारी वाहनों द्वारा नदी की रेत को परिवहन करने पर अवैध बजरी परिवहन के अन्तर्गत पाये जाने के प्रकरण दर्ज किया जाता है और ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही इन्टरसेप्टर गाड़ी एवं परिवहन विभाग द्वारा जारी है।
06. यह है कि पुलिस थाना बिजयनगर द्वारा वर्ष 2022-23 में अवैध बजरी परिवहन पर की गई कार्यवाही की सूचना शून्य है।

रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
04.10.23

(भरत राज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपजिला मजिस्ट्रेट, मसूदा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा  
क्रमांक/न्याय/NGT/2023/1407 दिनांक-5-10-2023

वरिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अधिकारी,  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल,  
भीलवाड़ा

विषय- Joint Inspection Report Of The Committee द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत करने बाबत।

प्रसंग- आपके पत्रांक/1667 दिनांक 14.09.2023 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रानुसार Joint Inspection Report Of The Committee (NGT) के संबंध में तहसीलदार हुरडा, थानाधिकारी गुलाबपुरा, सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड गुलाबपुरा, प्रभारी अधिकारी भू-जल वैज्ञानिक भू-जल विभाग भीलवाड़ा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार बिन्दुवार रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

1. यह है कि तहसीलदार हुरडा की रिपोर्ट अनुसार बिन्दु संख्या 14 के संबंध में बजरी वाहनों से सडकों को क्षति पहुंचाना नहीं पाया गया है सूचना शून्य है। (अनुलग्नक-1)
2. यह है कि तहसीलदार हुरडा की रिपोर्ट अनुसार बिन्दु संख्या 15 के संबंध में रिपोर्ट में उल्लेखित सभी ग्राम तहसील क्षेत्र में नहीं है। तहसील क्षेत्र में लीज लीज क्षेत्र से बाहर खनन की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं तथा मौका देखने पर भी खनन के निशान नहीं पाये गये हैं। (अनुलग्नक-1)
3. यह है कि तहसीलदार हुरडा की रिपोर्ट अनुसार बिन्दु संख्या 18 के संबंध में लीज क्षेत्र में पेड खनन होने की शिकायत/रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई तथा मौका निरीक्षण के दौरान भी पेड काटे जाने के निशानात नहीं पाये गये हैं। (अनुलग्नक-1)
4. यह है कि थानाधिकारी गुलाबपुरा की रिपोर्ट अनुसार बिन्दु संख्या 20 में बजरी खनन से ओवरलोड वाहनों से विगत दो वर्षों में कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है। रिपोर्ट शून्य होकर संलग्न है। (अनुलग्नक-2)

उपखण्ड अधिकारी  
गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

गुलाबपुरा

5. यह है कि प्रभारी भू-जल वैज्ञानिक भू-जल विभाग भीलवाड़ा की रिपोर्ट अनुसार गुलाबपुरा कस्बे के आस-पास के खारी नदी क्षेत्र में भू जल सर्वेक्षण 2023 के दौरान भू जल स्तर 2.30 मीटर से 12.50 मीटर दर्ज किया गया है। रिपोर्ट संलग्न है। (अनुलग्नक-3)

6. यह है कि सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड गुलाबपुरा रिपोर्ट अनुसार ओपन वेल/ट्यूब वेल कुल 15 ओपन वेल पाये गये हैं जो पानी पीने योग्य नहीं होने से वर्तमान में स्रोत बन्द है। रिपोर्ट संलग्न है। (अनुलग्नक-4)

संलग्न:-उक्तानुसार।

(निशा सहारण)

उपखण्ड अधिकारी,  
गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा।

उपखण्ड अधिकारी,  
गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज0)

-: संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 21.12.2016 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 118(89), दि. 5/9/2016 के क्रम में तहसील, हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स पिप्रा प्रिन्सिपल्स एंड सोल्यूशन्स नि. शिवाजी, तह. मयरा के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544-03 हेक्टर के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन, हेतु ग्राम, पालखोटा, तहसील, हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री महेय सिंह सरोज, श्री हनुमंत सिंह सरोज नि. शिवाजी, तह. मयरा जिला के उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम, पालखोटा, तहसील, हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा

क्र. सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	688	गोशुमरी	59-00
2	890/704	do	06-00
3	892/488	do	6-00
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

V. S. R.

उपसहायक  
हुरड़ा (भीलवाड़ा)हुरड़ा (हल्का पटवारी)  
प. स. कवलिंगम  
तह. हुरड़ा जिला - भीलवाड़ा

(खनि कार्यदेशक I/II)

Pradeep  
MPSखनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज0)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 28/9/2016 को निम्नहस्ताक्षरकृत कार्यालय के पत्रांक 1186-89, दि 5/9/2016 के क्रम में तहसील डुरड़ा में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स. विष्णु प्रसाद सिंह के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544-03 के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम मुराप्रला तहसील डुरड़ा जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री महेश चण्डिका के उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम मुराप्रला, पटवार मण्डल डुरड़ा तहसील डुरड़ा

कं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	01	जंगल	29-15
2	45	—	27-12
3	46	—	28-11
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

विनोद कुमार बेरवा  
(हल्का पटवारी),  
पटवार मण्डल (राज0)  
तहसील-डुरड़ा (भीलवाड़ा)

(खनि कार्यदेशक I/ II)

वसुधा

उप बजरीयक  
डुरड़ा (भीलवाड़ा)

पटवार

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज0)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 26/9/2016 को निम्नहस्ताक्षरकृत कार्यालय के पत्रांक 1186-89, दि 5/9/2016 के क्रम में तहसील इरड़ा में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/भीमती/मैसर्स. विष्णु मिश्रा के स्वामी निवा. (खरानी), जि. अजमेर के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544-03 के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम मुराप्रला, तहसील इरड़ा जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री महेश चंदाबाई श्री सुमंत शिंदे की उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम मुराप्रला, तहसील इरड़ा

कं सं.	खसरा संख्या	किस	रकबा
1	01	गुरुनदी	29-15
2	45	—	27-12
3	41	—	28-11
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

विजोद कुमार बैरवा  
(हल्का पटवारी)  
पटवार मण्डल (अ.अ.)  
तहसील-इरड़ा (भीलवाड़ा)

(खनि कार्यदेशक I/II)

V. V. V.

उप क्षेत्रीयक  
इरड़ा (भीलवाड़ा)

Handwritten signature

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभियान्ता, भीलवाड़ा (राज0)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 21/9/2016 को निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 1186-89, दिनांक 21/9/2016 के क्रम में तहसील इरड़ा में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स. विक्रम सिंह/श्रीमती/श्रीमती के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 54403 हेक्टर के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम खोजी तहसील इरड़ा जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री महेश खिंसा/श्रीमती/श्रीमती की उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम खोजी, पटवार मण्डल खोजी इरड़ा तहसील

कं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	03	अन. नदी	292-17
2	87	अन. नदी	208-09
3	640	अन. नदी	55-09
4	641	अन. नदी	2-03
5	901	अन. नदी	78-00

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

महोदय कुंजार बैरवा  
हल्का पटवारी  
पटवार मण्डल  
तहसील-इरड़ा (भीलवाड़ा)

(खनि कार्यदेशक I/II)

महोदय

उपपञ्चायक  
इरड़ा (भीलवाड़ा)

खनि अभियान्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज0)

-: संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 16/04/2016 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 1185-89 दि 5/9/2016 के क्रम में तहसील हुरड़ा में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स विक्रम सिंह एच.एस.डी. (राजस्थान) लि. जिनगी के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544-03 हेक्टर के स्वीकृत क्षेत्र की सीमांकन हेतु ग्राम गजसिंहपुर तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री महेन्द्र प्रवेशी (श्री) एम.एस.डी. (राजस्थान) लि. जिनगी की उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम गजसिंहपुर तहसील हुरड़ा

क्र. सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	80	गरी	46-07
2	157	गरी	34-13
3			
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि) श्री महेन्द्र प्रवेशी (श्री) एम.एस.डी. (राजस्थान) लि. जिनगी

(हल्का पटवारी) श्री महेन्द्र प्रवेशी (श्री) एम.एस.डी. (राजस्थान) लि. जिनगी

(खनि कार्यदेशक I/II) श्री महेन्द्र प्रवेशी (श्री) एम.एस.डी. (राजस्थान) लि. जिनगी

उपपंजीयक श्री महेन्द्र प्रवेशी (श्री) एम.एस.डी. (राजस्थान) लि. जिनगी

हुरड़ा (भीलवाड़ा)

खनि अभियन्ता खान एवं भू-विज्ञान विभाग भीलवाड़ा (राज)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज0)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 16/12/2016 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 1185-89-519/16 के क्रम में तहसील 525 में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/सैक्स विष्णुप्रिया शिखरानी जि० अजमेर के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 54403 ई०२२ के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम चतरपुर तहसील 525 जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री महेश प्रदीप शर्मा जी (धर्मशाला) को उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम चतरपुर, तहसील 525

क्रं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	705	मड़ी	59-15
2			
3			
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

UP

उप प्रजायक  
हरड़ा (भीलवाड़ा)

हल्का पटवारी  
वीरमदेव खटवारी  
ह.प. मन्सूर/हरड़ा  
तह. हरड़ा (भीलवाड़ा)

(खनि कार्यदेशक I/II)

19/12/16

खनि अभियन्ता  
ज्ञान एवं शू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज0)



-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 10/11/2017 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 1186-89, दिनांक 05/9/2016 के क्रम में तहसील इररा में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स विश्वप्रतिष्ठान सर्वोपयोगी निवेशक नि. लि. के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544-28 के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम केवपुरा तहसील इररा जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पड़ने वाले खसरा के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री विश्वप्रतिष्ठान सर्वोपयोगी निवेशक नि. लि. के उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम केवपुरा तहसील इररा

कं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	225	गे.पु. न.पी	37-10
2			
3			
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

उप पंजीयक  
हरड़ा (भीलवाड़ा)

पटवारी  
हल्का पटवारी

(खनि कार्यदेशक I/XI)

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभा  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज0)



-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 10/01/2017 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 1181-89 दि 5/9/16 के क्रम में तहसील के खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैक्सिमिलियन के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544-03 हे. के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम जामसिंहपुर तहसील इररा जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पड़ने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री/श्रीमती/मैक्सिमिलियन के उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम जामसिंहपुर तहसील इररा

क्रं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	290	गेमु नदी	31-08
2	362	गेमु नदी	13-05
3			
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

हस्ताक्षर  
पटवारी/हल्का पटवारी  
(भीलवाड़ा)

(खनि कार्यदेशक I/II)

Wah

उप पंजीयक  
हरड़ा (भीलवाड़ा)

Preceded  
14/1/17

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज0)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 01/01/2017 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता का पालियुक्त पत्रांक 1186-89, दि० 5/9/16 के कम में तहसील 525, जिला भीलवाड़ा के खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स विष्णुप्रिय सिंघाणा/श्री गणेश पाटिल/श्री के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544-03 हेक्टेयर के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम नगास खेड़ा तहसील 525 जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री महेन्द्र सिंह शांडी/श्री सुभाषिण्ड शांडी/श्री उपेन्द्र सिंह शांडी को उपरिथति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजसव ग्राम नगास खेड़ा तहसील 525 जिला भीलवाड़ा

कं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	646	नदी	17-02
2	633	नदी	66-18
3		:	
4		:	
5		:	

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

V. W. P. M.

उप पंजीयक  
हड़ड़ा (भीलवाड़ा)

कमलेश्वर शांडी  
पटवारी प्रण्डल रूपरेखा  
र. हड़ड़ा जिला भीलवाड़ा

(खनि कार्यदेशक I/II)

Pradeep

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज0)

-: संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक दि 21/12/2016 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के  
पत्रांक 1186-89, दि 21/12/16 के कम में तहसील मसूदा में  
खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स श्री. राजेश कुमार शर्मा के  
के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 54403.5 के स्वीकृत क्षेत्र को  
सीमांकन हेतु ग्राम बोरखेड़ा तहसील मसूदा जिला  
भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पड़ने वाले खसरों के सीमाज्ञान  
हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री श्री. राजेश कुमार शर्मा  
उपरिस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी  
द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम बोरखेड़ा तहसील मसूदा

कं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	01	मती	79-09
2			
3			
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के  
नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार  
नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया।  
मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा  
गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

(रामप्रताप जादव)

(हल्का पटवारी)

स. म. श्री. राजेश कुमार शर्मा  
तह. हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

(खनि कार्यदेशक I/II)

Udayk

उप पंजीयक

Proceed

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज0)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 16/12/2014 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 1186-89, फि. 5/9/2016 के क्रम में तहसील शुआस में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती श्री. विजयप्रिय शर्मा के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 6.44 चौ. ए. फुट के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम शुआस तहसील शुआस जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पड़ने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री श्री. विजयप्रिय शर्मा की उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम शुआस तहसील शुआस

क्र. सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	1134/837	मैदान - बगी	89-10
2			
3			
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिह्नित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

(हल्का पटवारी)

(खनि कार्यदेशक I/II)

Waryh

उप प्रजायक  
हरडा (भीलवाड़ा)

वीरमदेव खटवारी  
ह. प. म. हरडा (भीलवाड़ा)

Prasad  
12/12/14

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज०)



-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 15/10/2014 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 118/89, दि. 5/9/2014 के कम में तहसील 521 धर्मपुर में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स विष्णुगणपति रावत की मन्तव्य हेतु निम्नलिखित के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544038 हे. मं. जि. 521/भमेर के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम बालापुर तहसील 521 जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री महेन्द्र सिंह रावत की उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम बालापुर तहसील 521

कं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	01	बगी	107-10
2			
3			
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि) पकज रत्न (खनि कार्यदेशक I/II)

VWPH

उप पंजीयक

19/10/14

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज०)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज०)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक दि० 17/10/2016 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में पत्रांक 11.86.39 दि० 5/9/2016 के कम में तहसील हुरड़ा में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स श्री. अशोक प्रो. अग्रवाल के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544.03 हेक्टा के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम अरुवा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री अशोक प्रो. अग्रवाल की उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम अरुवा, प्रो. अशोक प्रो. अग्रवाल तहसील हुरड़ा

क्रं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	157	नदी	143
2	352	नदी	66.06
3			
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

पकड़ रत्न  
हल्का पटवारी  
पटवारी मण्डल प्रो. अशोक  
वाडा

(खनि कार्यदेशक I/II)

Varyk

उप पंजीयक  
हुरड़ा (भीलवाड़ा)

10/10/16

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा, (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज०)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 22/9/2016 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता विनोद कुमार बैरवा द्वारा पत्रांक 1186/89 के 5/9/2016 के काम में तहसील हुरड़ा में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स विनोद कुमार बैरवा के 544/03 के स्वीकृत क्षेत्र को पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544/03 के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम परियी का देव तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरो के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री विनोद कुमार बैरवा के उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरो का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम परियी का देव तहसील हुरड़ा

कं सं.	खसरा संख्या	किस्म :	रकबा
1	384/363	नदी	402.00
2			
3			
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

विनोद कुमार बैरवा  
हल्का पटवारी  
पटवार मण्डल (राज.)  
तहसील-हुरड़ा (भीलवाड़ा)

(खनि कार्यदेशक I/II)

उपस्थित  
हुरड़ा (भीलवाड़ा)

Prasad

खनि अभियन्ता  
जा. एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा. (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज0)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 29/9/2016 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 1186/29 दि. 5/9/2016 के क्रम में तहसील हुरड़ा जिले खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स श्री/श्रीमती/मैसर्स के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544.03 हेक्टा के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम 2101/2 प्र. 1/1 तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री/श्रीमती/मैसर्स के उपस्थिति में करवाया गया।



खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम 2101/2 प्र. 1/1 तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

क्रं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	5680/1	नदी	318.13
2	5261/3429	नदी	214.10
3			
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

हल्का पटवारी

(खनि कार्यदेशक I/ II)

Waryh

उप प्रजायक  
हुरड़ा (भीलवाड़ा)

10/10/16

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज0)

-: संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 09/09/2016 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 118.689.दि. 5/09/2016 के क्रम में तहसील हुरड़ा जिला खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स विकास विद्युत खोड्डा नि. बिरुवा की पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544.03 हेक्टर के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम हुरड़ा खेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरो के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री सुदेव सिंह खोड्डा नि. बिरुवा की उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरो का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम हुरड़ा खेड़ा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

क सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	1877	जमी	0.09
2	3429/मिन	भूमी	687.10
3			
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

उप पंजीयक  
हुरड़ा (भीलवाड़ा)

(हल्का पटवारी)

मुकेश कुमार यादव  
पटवार मण्डल हुरड़ा संजा

(खनि कार्यदेशक I/II)

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज०)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक दि० 22/9/2016 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कायस्थ के पत्रांक 1186/89, दि० 5/9/2016 के कम में तहसील दुरा में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स वि.क.वा.प्रिया के.शर्मा के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544.03 हेक्टा के स्वीकृत क्षेत्र के सीमांकन हेतु ग्राम राजस्व तहसील दुरा भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री वि.क.वा.प्रिया के.शर्मा की उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम राजस्व तहसील दुरा

कं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	807/2 अित	नदी	617.09
2			
3			
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

विनोद कुमार बेरवा  
हल्का पटवारी  
तहसील-दुरा (भीलवाड़ा)

(खनि कार्यदेशक I/II)

उपस्थित  
दुरा (भीलवाड़ा)

खनि अभियन्ता  
ज्ञान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभिययन्ता, भीलवाड़ा (राज0)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 21/9/24 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निम्नलिखित खसरा संख्या के पत्रांक 1181-89-5914 के कम् में तहसील में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544.83 हे. के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम तहसील जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम तहसील

कं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	288	नप	115
2	289	नप	28-10
3	617	नप	310 (हल्का पटवारी के माप)
4	618	नप	0-54
5	626	नप	0-1710
6	619	नप	04-83

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि) (हल्का पटवारी) (खनि कार्यदेशक I/II)

V. S. R.

उप प्रजायिक  
हुरड़ा (भीलवाड़ा)

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज०)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक ..... 11/18/17 ..... को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 1186-89, फि 5911 के क्रम में तहसील डूंगरपुर में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स [Signature] के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 54403 के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम आपलियास, तहसील डूंगर, जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री [Signature] की उपस्थिति में करवाया गया।



खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम आपलियास, फि 5911, तहसील डूंगर

क्रं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	01	गि. नं.	66-00
2	02	गि. नं.	05-23
3			
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को आबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

पकज रत्न [Signature]  
तह डूंगर जिला भीलवाड़ा

(खनि कार्यदर्शक I/II)

[Signature]

उप-निर्देशक  
हुरड़ा (भीलवाड़ा)

[Signature]

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज०)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 30/9/2016 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 1186-89, दि 5/9/16 के क्रम में तहसील 527 पटवारी खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स विनोद कुमार बौरवा (हल्का पटवारी) के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544-03 हे. के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम आनन्दपुरा तहसील 527 जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पड़ने वाले खसरो के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री विनोद कुमार बौरवा (हल्का पटवारी) की उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरो का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम आनन्दपुरा तहसील 527 पटवारी 527

कं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	4611	नदी	52-02
2			
3			
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को आबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

विनोद कुमार बौरवा  
(हल्का पटवारी)  
पटवारी मण्डल (A/26)  
तहसील-हुरड़ा (भीलवाड़ा)

(खनि कार्यदेशक I/II)

Waryk

उप पंजीयक  
हुरड़ा (भीलवाड़ा)

Proceed  
NAB

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 11/02/2016 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 1181-89 दि० 8/9/16 के कम में तहसील सुरा में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स विष्णु प्रिया शर्मा एवं मनप्रीत कौर शिखरिया के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 54403.80 के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम अमरगिरा तहसील सुरा जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री महेश्वर शर्मा एवं सुमन शर्मा की उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम अमरगिरा तहसील सुरा

कं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	47	नपी	38-15
2	50	दो	2-09
3	55	दो	9-01
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि) पकज रत्न (खनि कार्यदेशक I/II)

Wryh

उपपंजीयक  
हुरड़ा (भीलवाड़ा)


Proceed  
10/2/16

खनि अभियन्ता  
खान एवं सू-विज्ञान विभा  
भीलवाड़ा (राज.)



श्री गणेशाय नमः आनेवाली खसरो की धुची

क्र.सं.	ग्राम	एकसय नम्बर	मूनि की डिग्री	दौक्य (कैस्य-खिला)
1	आशुच-प्रफ	2892	नरी	137-09
2	do	300	नरी	0-8
3	do	3718	नरी	0-11
4	do	3719	नरी	0-15
5	do	3720	नरी	1-6
6	do	3721	नरी	0-8
7	do	3722	do	2-08
8	do	3723	do	1-01
9	do	3724	do	2-01
10	do	3725	do	0-03
11	do	3726	do	0-13
12	do	3727	do	2-04
13	do	3728	do	0-07
14	do	3730	do	0-03
15	do	3731	do	0-06
16	do	3732	do	0-90
17	do	3733	do	0-07
18	do	3734	do	0-06
19	do	3735	do	0-08
20	do	3736	do	0-15
21	do	3737	do	0-07
22	do	3738	do	0-05
23	do	3740	do	0-15
24	do	3741	do	0-16
25	do	3742	do	0-08
26	do	3743	do	



खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भोलवाडा (राज.)

महसुद डेप्युटी-प्रफ  
राज्य इंजीनियरिंग

उप-विभागीय (जि. ए. डी. हाडा)  
हाडा (भोलवाडा)

VW44

राज्य शासक - आगुच्य प्रमथ, पय्यरमण्डल - आगुच्य, राज  
 इत्यु मं नीक्षेत्र मं आगेवानै खसरेवडी सूची

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	भूमी की प्रकृति	कॅम्पल (वैय्यपति)
27	आगुच्य-प्रमथ	3744	नी	29-10
28	do	3816	do	03-16
29	do	3817	do	02-00
30	do	3818	do	1-03
31	do	3819	do	
32	do	3820	do	
33	do	3821	do	
34	do	3822	do	
35	do	3823	do	071
36	do	3824	do	1-04
37	do	3825	do	10/104
38	do	3826	do	0-13
39	do	3827	do	1-06
40	do	3828	do	0-18
41	do	3829	do	1-00
41	do	3830	do	0-03
42	do	3831	do	1-10
43	do	3832	do	0-06
44	do	3833	do	0-10
45	do	3834	do	0-11
46	do	3835	do	1-03
47	do	3836	do	0-14
48	do	3837	do	1-05
49	do	3986	do	1-11
50	do	3987	do	55-00



Varyu

जि. एस. राठोड़ी  
 मन्थारी आगुच्य

पंचायत  
 इलाहाबाद (भोलवाड़ा)

खनि अभियन्ता  
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
 भोलवाड़ा (राज.)

Page 4

राजसू शान - आरुण्य - प्रथम, पद्यारमण्डल - आरुण्य, (हि०सूत्र) धेनुका ५  
 में नदीको में आनेवाली खसरोडीयुक्ती

क्र.सं.	ग्राम	खसरो मन्कर	भूमिहीन प्रिम्	क्षेत्रफल (वर्ग-फुट)
51	आरुण्यप्रथम	3988	नदी	0-11
52	do	3989	do	0-10
53	do	3990	do	1-17
54	do	3991	do	0-15
55	do	3992	do	
56	do	3993	do	
57	do	3994	do	
58	do	3995	do	
59	do	3996	do	1-02
60	do	3997	do	0-08
61	do	3998	do	0-14
62	do	3999	do	0-05
63	do	4000	do	0-08
64	do	4003	do	0-07
65	do	4004 मीन	do	12-11
65	do	4005	do	0-16
66	do	4006	do	1-12
66	do	4007	do	0-19
67	do	4008	do	0-19
68	do	4009	do	1-05
69	do	4010	do	0-15
70	do	4011	do	0-47
71	do	4012	do	1-00
72	do	4013	do	0-06
73	do	4014	do	0-04
74	do	4015	do	0-09
75	do	4016	do	0-02



VSD 44

(प्रामाणिक)

उप-प्रजायकजी ए.सी. शेटाड़ा,  
 पुरवाडी, मुरदा, मीनवाडी, गुल्पा,  
 हुरड़ा (भीलवाड़ा)

खनि अभियन्ता  
 एवं भू-विज्ञान विभाग  
 भीलवाड़ा (राज.)

SMA

(Contd. next)

राजस्थान आर्य समाज, पञ्चदशम स्तर - आर्य समाज, (वि. ए. ए. ए. ए.) का  
 क्षेत्र में उन्नीसवाली खसरोडी सूची

क्र.सं.	नाम	खसरोडी नम्बर	सूची की स्थिति	क्षेत्रफल (बीघा-द्विगुण)
77	आर्य समाज	4017	नहीं	004
78	दा	4018	दा	007
79	दा	4019	दा	005
80	दा	4020	दा	005
81	दा	4021	दा	005
82	दा	4022	दा	005
83	दा	4023	दा	170
84	दा	4024	दा	070
85	दा	4025	दा	005
86	दा	4026	दा	002
87	दा	4027	दा	010
88	दा	4028	दा	003
89	दा	4029	दा	005
90	दा	4030	दा	006
91	दा	4031	दा	005
92	दा	4032	दा	011
93	दा	4033	दा	015
94	दा	4034	दा	010
95	दा	4035	दा	005
96	दा	4929 मी.	दा	11177
97	दा	4930	दा	1900
98	दा	6518/4930	दा	400
99	दा	6518/4929	दा	000
100	दा	6519/4929	दा	000
101	दा	6572/3729	दा	013
102	दा	6573/3739	दा	013
103	दा	6774/3828	दा	2403
104	दा	6784/3719	दा	2008



Vedya (प्रामाणिक)

उप-प्रजायक (पञ्चदशम स्तर)  
 पञ्चदशम स्तर  
 आर्य समाज, पञ्चदशम स्तर

खनि अभियन्ता  
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
 भीलवाड़ा (राज.)

Smt  
 श्री. श्री. अभियन्ता  
 भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार  
कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज०)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक दि० 17/10/2016 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 1186-89, दि० 29/9/16 के क्रम में तहसील क्षेत्र में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स. विक्रम प्रशासक प्रोप्रायटर्स लि. रायसानी के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 54403 के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम भोरखेडा, आगल्या तहसील, डुण्डा जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री. मदनसिंह शर्मा के द्वारा उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम भोरखेडा, आगल्या तहसील, डुण्डा

कं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	4922	नशी	25-12
2	4923	नशी	11-12
3	4924	नशी	07-09
4	4925	नशी	04-00
5	4926	नशी	10-17
6	4928	नशी	07-00
7	6153/4924	नशी	09-06

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को प्पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

(हल्का पटवारी)

(खनि कार्यदेशक I/II)

WDP

उप प्रजायक  
हुरडा (भीलवाड़ा)

Pradeep

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)



राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज०)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक २९/११/१६ को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक ११८६८९ दि. ५/०९/२०१६ के क्रम में तहसील कुंडा-समुदा में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स विप्रसादित्य लॉटोडिजिनि-बिखरजी के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल ६५५.०३ हेक्टर के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम कवलसिमास तहसील कुंडा भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरा के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री महेन्द्र सिंह बाठुडिवाडी की उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम कवलसिमास, पंचोडवाशियेद तहसील कुंडा

कं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	L	भू नदी	६७.००
2	१७५	भू नदी	६७.०६
3	१०६९	भू नदी	५९.१०
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को आबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

(हल्का पटवारी)

(खनि कौयदेशक I/II)

Varyk

उप पंजीयक  
हुंडा (भीलवाड़ा)

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज०)



राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज0)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 13/11/17 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 118689 दिनांक 5/09/16 के क्रम में तहसील कुड़डा-राजसूरी में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स वि.क.सायिदुल्लाखान नि. शिवाजी के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544.03 हेक्टर के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम कपाहली प्रथम तहसील कुड़डा जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री. सुहेन्द्र सिंह साहू की उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम कपाहली प्रथम तहसील कुड़डा

कं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	2053	जमी	59.16
2	2460	जमी	31.03
3	3662	जमी	21.02
4	3684	जमी	66.19
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को आबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)   
 उप प्रजाधिकारी   
 कुड़डा (भीलवाड़ा)   
 कर्मल साहू   
 पटवार मॉडल   
 नं. 17/16/16   
 भीलवाड़ा   
 (खनि कार्यदेशक I/II)   
 खनि अभियन्ता   
 खान एवं भू-विज्ञान विभाग   
 भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज०)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 16/12/16 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 1181/89 के 5/5/2016 के क्रम में तहसील दुसा में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स वीरमदेव खनिज प्रो. प्रा. लि. के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544.03 हेक्टा के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम रुलदापुरा तहसील दुसा जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पड़ने वाले खसरा के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री वीरमदेव खनिज प्रो. प्रा. लि. उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम रुलदापुरा तहसील दुसा

कं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	986	अच्छा नदी	13.08
2	1005	अच्छा नदी	226.05
3	1006	अच्छा नदी	56.05
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

(हल्का पटवारी) (खनि कार्यदेशक I/II)

*Wdyu*

उप प्रजायक  
दुरड़ा (भीलवाड़ा)

वीरमदेव खनिज प्रो. प्रा. लि.  
क. व. दुसा (भीलवाड़ा)

*Prasad mfb*

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज०)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज0)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 11/8/2017 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 1186/2016 के क्रम में तहसील भोजरा में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544.03 हेक्टर के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम भोजरा तहसील भोजरा जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री के उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम भोजरा तहसील भोजरा

क्र.सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	01	जंगल	243.10
2			
3			
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

एकज रतु  
पटवारी (हल्का पटवारी)

(खनि कार्यदेशक I/II)

उपस्थित  
हरड़ा (भीलवाड़ा)

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभिययन्ता, भीलवाड़ा (राज०)

:- सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 17/9/16 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 519/2016 खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स विक्रम सिंघ राणा नि. शिखरानी, जि. अजमेर के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544.03 हेक्टर के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम नगर तहसील मयूर, हल पिनभनगर जिला भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पड़ने वाले खसरों को सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री मयूर सिंघ राणा नि. शिखरानी की उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम नगर तहसील मयूर, हल पिनभनगर

कं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	298	नदी	24.759
2	349	नदी	56.2878
3	468	नदी	0.2914
4	1141	नदी	31.7232
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

पटवारी  
(हल्का पटवारी)  
मयूर (खसरा)  
11/08/17

(खनि कार्यदेशक I/II)

VWYU

उपपंजीयक  
हरड़ा (भीलवाड़ा)

मेसर्स राणा

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज०)

-: सयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 20/11/18, को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 1186-89, दि० 21/9/2018 के क्रम में तेहसील मथुरा में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स विक्रमसिंह शर्मा नि० शिवरानी, जि० अजमेर के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544.03 हेक्टर के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम आलिश-2 तेहसील मथुरा जिला अजमेर पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री प्रेमचंद्र सिंह शर्मा नि० शिवरानी, जि० अजमेर की उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम आलिश-2 तेहसील मथुरा जिला अजमेर

क्रं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	2674	नदी	0-06
2	2985	नदी	0-07
3			
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

(हल्का पटवारी)

(खनि कार्यदेशक I/ II)

उपपरीयक  
हुरड़ा (भीलवाड़ा)

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभा  
भीलवाड़ा (राज०)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज0)

-: संयुक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 20/9/2016 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 118(-)1189 दि. 21/9/2016 के क्रम में तहसील मयूर में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैक्स विष्णु सिंह शर्मा नि. अजमेर के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 544.03 हेक्टर के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम जालिया-3 तहसील मयूर जिला अजमेर भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पड़ने वाले खसरो के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री. प्रहलाद सिंह नि. अजमेर की उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरो का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम जालिया तहसील मयूर जिला अजमेर (राज0)

क्र. सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	5654	नदी	0-17
2	5659/4	नदी	1109-09
3	5814	नदी	1-0
4	6111/1	नदी	266-09
5	6214	नदी	295-16

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

(हल्का पटवारी)

(खनि कार्यदेशक I/II)

Voyu

उपपंजीयक  
हुरड़ा (भीलवाड़ा)

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा (राज०)

-: सयुंक्त सीमांकन रिपोर्ट :-

आज दिनांक 17/9/2016 को निम्नहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय के पत्रांक 1185-89 दि. 5/9/2016 के क्रम में तहसील मयूर, जिला अजमेर में खनिज बजरी के खनन हेतु श्री/श्रीमती/मैसर्स विक्रमपिठु धारक नि. शिखरी, जि. अजमेर के पक्ष में जारी LOI क्षेत्रफल 54403 ई० के स्वीकृत क्षेत्र को सीमांकन हेतु ग्राम चौराला तहसील मयूर, जिला अजमेर भीलवाड़ा पहुँचा। क्षेत्र में LOI के स्वीकृत क्षेत्र में पडने वाले खसरों के सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा LOI धारक/प्रतिनिधि श्री महेश चण्डा, मयूर, जि. अजमेर की उपस्थिति में करवाया गया।

खनिज बजरी के खनन हेतु निम्नलिखित खसरों का सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया।

राजस्व ग्राम चौराला तहसील मयूर, जिला अजमेर

कं सं.	खसरा संख्या	किस्म	रकबा
1	4296	डो. र. नदी	129=0
2			
3			
4			
5			

मौके पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान के दौरान चिन्हित कराये गये स्थलों पर पक्के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ निर्मित कराने हेतु तथा संविदा की शर्तों के अनुसार नियमानुसार खनन कार्य करने हेतु LOI धारक/प्रतिनिधि को पाबन्द किया गया। मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कर उपस्थित को पढ़ा सुनाकर हस्ताक्षर हेतु कहा गया।

(LOI धारक/प्रतिनिधि)

(हल्का पटवारी)

(खनि कार्यदेशक I/II)

उप पञ्जीयक  
पटवार हल्का  
तहसील बिजयनगर (अजमेर)

खनि अभियन्ता  
खान एवं भू-विज्ञान विभाग  
भीलवाड़ा (राज.)

## राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियंता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, मावर

## संयुक्त सीमांकन प्रतिवेदन

आज दिनांक 30/3/23 को थीमान सहायक खनि अभियंता मावर के आदेशो की पम्ना में तह. भिनाय जिला अजमेर में खनिज बजरी के खनन हेतु सर्वश्री श्री अभिमन्यू सिंह के पक्ष में जारी खनन पट्टा क्षेत्र \ एल.ओ.आई. क्षेत्रफल 342.08 हैक्टेयर के स्वीकृत क्षेत्र के ग्राम वडली, माता जी का खेडा, देवनिया कलां, गुडा खुर्द, गुडा कलां, किटाप तहसील भिनाय जिला अजमेर पहुंचे। उपरोक्त सभी क्षेत्रो की पूर्व में सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 30-07-2014 को किया गया था जोकि निम्नानुसार खसरो में किया गया था :-

राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	विवरण	
भिनाय	वडली	2572	32.280	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
		2573	0.030	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
		2753	10.810	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
		2753/5877	0.160	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
		5437	14.570	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
		5438	21.810	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
		5443	8.150	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
		5445	6.450	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
		5470	3.450	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
		5521	1.700	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
		5528	2.420	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
		5569	23.740	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
		5589	3.610	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
		5590	0.310	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
		माता जी का खेडा	1020	17.090	गै.मु.नदी
787	9.020		गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार	
देवनिया कलां	1506	14.700	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार	
	1900	0.320	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार	
	4412	14.450	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार	
	4540	8.690	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार	
	4873	9.930	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार	

	5364	30.240	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
गुडा खुर्द	3152/2616	48.550	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
गुडा कलां	1131	36.030	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
किटाप	253	4.090	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
	318	4.240	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
	479	2.180	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
	613	13.060	गै.मु.नदी	राजस्थान सरकार
कुल सीमांकित क्षेत्र = 342.080 हेक्टेयर				

मौके पर उपरोक्त खसरो में सीमांकित क्षेत्र के नियमानुसार माप के सीमा स्तम्भ बनाते हुए संविधा शर्तों के अनुसार संविधा निष्पादन, पंजीयन एवं पर्यावरण स्वीकृती प्राप्त करने के पश्चात जारी कमेंट टू ऑपरेट के अनुसार नियमानुसार खनिज बजरी का उक्त खसरो में (एल.ओ.आई. क्षेत्र) प्रतिबंधित जगहों से नियमानुसार सुरक्षित दूरी छोड़ते हुए खनन कार्य करने हेतु खनन पट्टाधारी/ प्रतिनिधि को पाबंध किया गया।

मौके पर सीमांकन रिपोर्ट तैयार कार उपस्थित को पढा सुना कर हस्ताक्षर लिए गए। मौका रिपोर्ट वास्ते सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश है।

खनन पट्टाधारी/एल.ओ.आई. धारक / प्रतिनिधि

  
 खनिकार्यदेशक-II

राजस्थान-सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, ब्यावर

खनिज-भवन / Khanij Bhawan 18-19, नाकोडा कॉलोनी, उदयपुर रोड, ब्यावर / 18-19 Nakoda Colony, Udaipur Road, Bawar (Raj.)

Email: mc.beawar@rajasthan.gov.in

कमांक : खअ / ब्यावर / बजरी / 2023 / 122

दिनांक :- 14/09/2023

प्रेषित :-

श्रीमान पर्यावरणीय अभियन्ता एवं क्षेत्रीय अधिकारी,  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,  
किशनगढ़ जिला अजमेर।विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ऑरिजनल एप्लिकेशन संख्या  
263/2023 कि पालना में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ऑरिजनल एप्लिकेशन संख्या 263/2023 के आदेश दिनांक 31.07.2023 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना के क्रम में खनन पट्टा संख्या 119/2012 श्री विक्रमादित्य सिंह राठौड़ के पक्ष में पूर्व में स्वीकृत रहे खनन पट्टे वास्ते खनिज बजरी का मौका दिनांक 19.08.2023 को देखा गया, जो कि कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा से स्वीकृत होकर प्रभावशील रहा है, जिसकी अवधि दिनांक 25.07.2023 को समाप्त हो चुकी है। खनन पट्टा संख्या 119/2012 के मौका निरीक्षण दिनांक 19.08.2023 एवं 09.09.2023 के क्रम में इस कार्यालय से संबंधित बिन्दुओं का बिन्दुवार टिप्पणी निम्नानुसार है:-

Observation made during the visit dated 19-08-2023 at mining lease are of M/s Vikramaditya Singh Rathore (MI No 119/2012)

- 1 निरीक्षण के दौरान निकट ग्राम बरल-गा तहसील विजयनगर जिला ब्यावर में खनिज बजरी के अवैध खनन होना पाया गया, जो कि खनन पट्टा संख्या 119/2012 श्री विक्रमादित्य सिंह राठौड़ के पक्ष में पूर्व में स्वीकृत रहे खनन पट्टा के स्वीकृत क्षेत्र में नहीं आता है। उक्त क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम हेतु कार्यालय पत्रांक 109-110 दिनांक 21.08.2023 से अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम हेतु सहायक खनि अभियन्ता व तकनीकी कर्मचारी, कार्यालय हाजा को पाबन्द किया गया। साथ ही खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण रोकथाम हेतु दिनांक 14.08.2023 से निकट ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला ब्यावर में चैक पोस्ट स्थापित किया गया है।
- 2 व 3 इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
- 4 निरीक्षण के दौरान निकट ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला ब्यावर के खारी नदी क्षेत्र में स्थाई वेब्रिज पाया जाने पर खनि अभियन्ता, ब्यावर से माईनिंग प्लान अनुसार वेब्रिज स्थापित होने/नहीं होने के संबंध में टिप्पणी चाही गई। उक्त के संबंध में निवेदन है कि उक्त खनन पट्टे की पत्रावली व माईनिंग प्लान का संधारण कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा में किया जाने से टिप्पणी इस कार्यालय से अपेक्षित नहीं है।
- 5 इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

Observation made during the visit dated 09-09-2023 at mining lease are of  
M/s Abhimanyu Chudhary.

- 6 से 12 इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
- 13 खनन पट्टा संख्या 119/2012 की पत्रावली व माईनिंग प्लान का संधारण कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा में होने से स्वीकृत क्षेत्र का मैप व स्वीकृत माईनिंग प्लान अनुसार प्लान्टेशन के संबंध में टिप्पणी इस कार्यालय से अपेक्षित नहीं है।
- 14 इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
- 15 इस कार्यालय क्षेत्राधिकार के तहसील विजयनगर जिला ब्यावर में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण रोकथाम कार्यवाही करते हुए वर्ष 2017-18 से अगस्त 2023 तक अवैध निर्गमन के 55 व अवैध खनन के 2 प्रकरणों में जुर्माना राशि रु 22.71 लाख की वसूली कर 05 प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करवाई गई। साथ ही खनन पट्टा 119/2012 की स्वीकृत अवधि के दौरान खनन पट्टाधारी द्वारा खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण करने का कोई प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त क्षेत्र में अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम हेतु कार्यालय पत्रांक 109-110 दिनांक 21.08.2023 से सहायक खनि अभियन्ता व तकनीकी कर्मचारी, कार्यालय हाजा को पाबन्द किया गया। खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण रोकथाम हेतु दिनांक 14.08.2023 से निकट ग्राम नगर तहसील विजयनगर जिला ब्यावर में चैक पोस्ट स्थापित किया गया है।
- 16 खनन पट्टा संख्या 119/2012 जो कि कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा से स्वीकृत होकर प्रभावशील रहा है। अतः स्वीकृत क्षेत्र का नियामननुसार सीमांकन के संबंध में टिप्पणी इस कार्यालय से अपेक्षित नहीं है।
- 17 उक्त क्षेत्र का रॉयल्टी की अवैध वसूली के संबंध में कार्यालय तकनीकी कर्मचारी द्वारा निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट बनाई गई, जिसके अनुसार पट्टाधारी द्वारा रॉयल्टी, डीएमएफटी, व आरएसएमईटी के अतिरिक्त कोई अन्य राशि वसूल नहीं की जा रही है।
- 18 कार्यालय रिकार्ड अनुसार उक्त खनन पट्टा संख्या 119/2012 क्षेत्र में बिना अनुमति वृक्षों की कटाई करने का प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है।
- 19 निरीक्षण के दौरान 10 फिट गहरे खनन पिट नहीं पाये गये। खनन पिटों के पुनः भराव व वृक्षारोपण के संबंध में निवेदन है कि खनन पट्टा संख्या 119/2012 के माईनिंग प्लान का संधारण कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा द्वारा किया जाने से टिप्पणी इस कार्यालय से अपेक्षित नहीं है।
- 20 व 21 इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
- 22 कार्यालय रिकार्ड अनुसार खनन पट्टाधारी द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर खनन करने का प्रकरण इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय  
खनि अभियन्ता,  
ब्यावर  
14/9/23

कॉमर्सियल रजिस्ट्रार अभियन्ता, श्रीलवाडा

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 28/11/23 को सभा-घर-पत्र में प्रकाशित खबर "शायली के नाम पर अवैध वधुनी, फर्जी फर्जी से कर रही जब" के खबर में जिला श्रीलवाडा की तदधीन दुर्गा एवं जिला अजमेर की तदधीन मधुवा के नाम से रजिस्ट्रार वजरी हेतु स्वीकृत खबर पहा संख्या 119/2012, श्री विक्रमसिंह सिंह रावडा का आवेदन निरीक्षण किया गया।

मौके पर उक्त खबर पर के नवी गैज का निरीक्षण दौरान केरि श्री चामरे फर्जी इत्यादि के माध्यम से अवैध वधुनी करता नही पाया गया।

मौके पर सीजदार के प्रतिनिधी की विरुद्ध सिट उपस्थित हुए 3-दैन गताच कि जिला श्रीलवाडा एवं जिला अजमेर की संयुक्त खबर पहा संख्या 119/2012 में नवी गैज का आवेदन मात्र जिला श्रीलवाडा में आता हे तथा आवेदन मात्र जिला अजमेर में आता हे। तथा उक्त खबर पहा के नवी गैज में अधिकतर रजिस्ट्रार वजरी का खबर अजमेर जिले के नवी गैज से किया जाता हे तथा रजिस्ट्रार वजरी और वास्तु का परिवहन श्री अधिकतर जिला अजमेर में ही होता हे। इस कारण जो व-ब्रिज लगाये गये हे, वे दोनों व-ब्रिज (1) गाम आसन जिला अजमेर तथा (2) अम नगर जिला अजमेर में ही स्थापित किये हुए हे। तथा नवी गैज के रजिस्ट्रार वजरी और वास्तु का उक्त दोनों व-ब्रिज पर ही खबर के माध्यम से खबर फर्जी कही जाकर ही परिवहन किया जाता हे। तथा कुल स्थायी चामिता के प्रथमपत्नी आवास योजना संस्था के लिफ्टे रजिस्ट्रार वजरी के परिवहन की रिमायत भी दी गई हे।

P. T. O.

नारपेश्वरत आम नगर निगा यजमर के वी-ब्रिज पर पहुँची ।  
 वी-ब्रिज का निरीक्षण करने के दौरान पाया कि उक्त वी-ब्रिज पर आज  
 दिनांक 28/11/22 को TC No. N10 021021814728 की ई-रचना द्वारा तथा  
 TC No. TV011058106165 को ई-रचना के माध्यम  
 से रचना करा हुआ पाया गया। मोफ़ पर वी-ब्रिज पर पूरक की गई  
 तो बताया कि यह रचना पहा की जो रचना नहीं जो है उन वाहन  
 पारक को उक्त जीप को जारी GST IN No. - 08A0PPR4215H2Z1  
 को रजिस्ट्रार वारी का 380.55/- प्रति ल की दर से पूर्ण कर दी जाती  
 उक्त GST कि में 38.095/- में (DMFT, RSMET) शुल्क सम्मिलित है  
 तथा मर्राई शुल्क <sup>नॉन GST</sup> रजिस्ट्रार वारी का असल से लिया जाता है) तथा  
 ई-रचना के माध्यम से नियमानुसार 50 रु प्रति ल दर से रोजली की  
 मर्राई की जाकर रजिस्ट्रार वारी अनुमोदित स्टोक पर डाला जा रहा है उक्त  
 अनुमोदित स्टोक <sup>मर्राई</sup> रचना अभिपत्ता, एवावर के निर्वाहिकार में आते ही जारी है  
 हालांकि परत के माध्यम से रजिस्ट्रार वारी का निर्गमन विभिन्न स्टॉक  
 पर किया जाता है मोफ़ पर उपस्थित प्रतिनिधी ने बताया कि ओनलाईन  
 रचना जारी करने हेतु नार वी-ब्रिज ( दो रजिस्ट्रार अभिपत्ता, जीलगाय वं की रजि  
 अभिपत्ता एवावर) के विभागीय वेबसाइट से भिन्न कराया गया है जिसमें  
 दो वी-ब्रिज की रजिस्ट्रार अभिपत्ता, एवावर निर्वाहिकार वाले ही ऑपरेशनल है  
 मोफ़ पर लिखधारक के प्रतिनिधी को रजिस्ट्रार वारी का ई-रचना हेतु  
 ऑन-एपपकातिक डेयरर ड्रांगी के अनुमत नहीं करने तथा परिषद विभाज  
 के समर्थन के ऑन-एपपकातिक डेयरर ड्रांगी को एपपकातिक करने के पश्चात  
 ही ई-रचना/ हालांकि परत के माध्यम से रजिस्ट्रार वारी का निर्गमन करने हेतु  
 पारक किया गया। मोफ़ पर मोफ़ रिपोर्ट वारा उपस्थित के पारक व पुनार  
 दस्तावेज करने के कहा गया।

विरेंद्र सिंह  
 ( उपस्थित प्रतिनिधी )

मोफ़  
 मोफ़  
 मोफ़

राजस्थान सरकार

कार्यालय सचिव अतिरिक्त, श्रीलवाडा

भूमि रिपोर्ट

आज दिनांक 09/02/23 तथा दिनांक 13/08/23 को अधीनस्थ अधिकारी प्रथम श्रेणी कर्मचारी द्वारा माननीय NDT अधीनस्थ अधिकारी के दायरे OA सं. 62/2023(12) व 306/2023 - PB मीनु क्रं. 2023 बनाम राजस्थान सरकार में उल्लेखित निम्नलिखित के संबंध में भूमि निरीक्षण करने जाकर लक्ष्मीपुर जिला श्रीलवाडा में स्वीकृत जमीनी खत सं. 115/2012, जो कि श्री विनोदचंद्र सिंह राठौर के पत्र में उल्लेखित था, जिसकी अवधि वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। का अनुसंधान के लक्ष्मीपुर, जगैरापुर, खैरपुर, गुलाबपुर, गिरवर, पारिके का क्षेत्र आदि क्षेत्रों में जाया गया।

भूमि पर उक्त अधीनस्थ अधिकारी वाली खारी नदी में वस्तु निरीक्षण कोई भी खत गतिविधि दिखने नहीं पाया गया। वस्तु निरीक्षण अधीनस्थ अधिकारी के लक्ष्मीपुर, जगैरापुर, खैरपुर, गुलाबपुर, गिरवर, पारिके का क्षेत्र लक्ष्मीपुर जिला श्रीलवाडा के खारी नदी में अवधि खत होने नहीं पाया गया। भूमि पर कोई भी खत अवधि वस्तु निरीक्षण नहीं पाया गया। भूमि पर वस्तु निरीक्षण नहीं किया गया। भूमि पर वस्तु निरीक्षण पाया गया कि कुछ अवधि खत भूमि में वस्तु निरीक्षण के संबंध में खत जमीनी खत अवधि खत किया जाता है। उक्त भूमि में

AMC/11/ P.T.O.

AMBI BHIWERA

समय- समय पर योजित भा कार्यवाही की जाती है। उक्त क्षेत्र में खनिज कमी के अकेले खनन, परिवहन एवं अन्तर्गत के विद्युत वित्तीय वर्ष 2017-18 से आज दिनांक तक कुल 88 अरब टन खनिज निकाले गए हैं व कुल 20 मुद्रांक दर्ज कराये गए हैं एवं कुल जुर्माना राशि ₹ 80,74,820/- वसूल किया गया है। उक्त खनन पट्टे में अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार प्रशासनिक क्रिया जमा है एवं खनन परावारी द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार कुल 730 फॉट्स लागवाने गये हैं। मोका रिपोर्ट जगन्नाथ एम्प्लॉयमेंट किया गया।

सचिव  
 अ.म.बी.  
 बहिवा

(3)  
 AMBI Bhiwera

Plantation at Government School, Near Village - Baral



Joint visit on dated 19.08.2023

Plantation at Government School, Near Village - Baral



Joint visit on dated 19.08.2023

Location Baral



Joint visit on dated 19.08.2023

Location Baral



Joint visit on dated 19.08.2023

## Plantation at Eidgah



Joint visit on dated 19.08.2023

# Plantation at Eidgah & Balaji Temple



Joint visit on dated 19.08.2023

# Location Aasan



Joint visit on dated 19.08.2023

# Plantation at Pond Village Khari Ka Lamba



Joint visit on dated 19.08.2023

Plantation at Crematorium Site



Joint visit on dated 19.08.2023

## Plantation at Charagah Land Village Badi



Joint visit on dated 19.08.2023

## Location Jaliya



Joint visit on dated 19.08.2023

## Plantations at Village Kaniya



Joint visit on dated 19.08.2023

## Plantations at Govt. School Village



Joint visit on dated 19.08.2023

**River Sand (Bajri) Stock Point Near Saint Paul School, Bijainagar**



Joint visit on dated 19.08.2023

## Location Nagar



Joint visit on dated 19.08.2023

## Plantation at Temple, Bhinay



Joint visit on dated 09.09.2023

## Location Gudha Khurd



Joint visit on dated 09.09.2023

**Location Devlia Kalan**



Joint visit on dated 09.09.2023

Location Devlia Kalan



Joint visit on dated 09.09.2023

Plantation at Bajri Stock Point, Badli



Joint visit on dated 09.09.2023

Plantation at Bajri Stock Point, Badli



Joint visit on dated 09.09.2023

## Location Badli



Joint visit on dated 09.09.2023

Open Well in River Area at Badli



Joint visit on dated 09.09.2023

# Plantation at Village Khejri



Joint visit on dated 09.09.2023

## Plantation at Village Khejri



Joint visit on dated 09.09.2023

# Plantation at Village Bheemlat



Joint visit on dated 09.09.2023

## Location Khejri



Joint visit on dated 09.09.2023

## Location Khejri



Joint visit on dated 09.09.2023

## **Joint Inspection Report of the Committee**

Submitted in Reference to

Hon'ble National Green Tribunal (NGT), Central Zonal

Bench, Bhopal order dated 31.07.2023 in the Matter of

Original Application No. 62/2023(CZ) &

(Original Application No. 306/2023-PB)

Meenu Kanwar Rathore

Versus

State of Rajasthan & Ors.

### **Members of the committee**

1. Shri M.D. Purohit, Joint Director/Scientist 'D' Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India.
2. Dr. Yogendra Kumar Saxena, Scientist 'C', Central Pollution Control Board, Regional Directorate, Bhopal
3. Shri Vikas Pancholi, SDM, Bhinai, Nominee of District Collector, Kekri
4. Shri Bharat Gurjar, SDM, Masuda, Nominee of District Collector, Beawar
5. Smt. Nisha Saharan, SDM, Gulabpura, Nominee of District Collector, Bhilwara
6. Shri Jinesh Humad, Mining Engineer, Department of Mines & Geology, Bhilwara
7. Shri Vineet Gahlot, Mining Engineer, Department of Mines & Geology, Beawar
8. Shri Pushendra Singh, Asst. Mining Engineer, Department of Mines & Geology, Sawar
9. Shri Deepak Tanwar, EE & Regional Officer, RSPCB, Kishangarh (Nodal Officer)
10. Shri Mahesh Kumar Singh, Supt. SO, Nominee of Regional Officer, RSPCB, Bhilwara

**Report of the Joint Committee constituted by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No.62/2023; "Meenu Kanwar Rathore Versus State of Rajasthan & Ors."**

*Hon'ble NGT (CZ), Bhopal in OA No. 62/2023 (CZ) vide its order dated 31/07/2023 in the matter of "Meenu Kanwar Rathore Versus State of Rajasthan & Ors." directed under para 1,2,3, & 7 as:-*

*"1. In this Original Application, registered suo-moto, on a letter petition, the complaint is that there are sand mining activities in Khari Nadi river bed by creating deep trenches and without following conditions of Environmental Clearance like plantation etc. The Miners are also using heavy machines like dumpers, trollers etc. but despite having knowledge of the said illegal mining activities, authorities have not taken any action in the matter. Heavy loaded vehicles have also caused damage to village roads but the persons indulged in illegal mining are not taking any action for maintenance of the roads. All the terms and conditions of mining are being flouted by the persons engaged in mining activities. It is said that mining activities are being carried on by Mr. Vikramaditya Singh Rathore s/o Mr. Hanuwat Singh and others in the Khari Nadi in villages Hanutia, Jalia, Asan, Baral, Nagar, Badli, Devalia Kalan, Gudda, Mataji Ka Kheda etc. The illegal Miners are also cutting green trees in a wholly illegal manner without any permission from Competent Authority.*

*2. Tribunal considered the complaint and found it appropriate to obtain a factual Report vide order dated 25.05.2023 and constituted a Joint Committee comprising State PCB, Director, Mines and Geology, Rajasthan and District Magistrate, Ajmer.*

*3. Joint Committee visited the site on 17.07.2023 and has filed a report. Having gone through the report, we find that report is incomplete, makes incorrect observations at several places and has also not addressed relevant issues. Hence, we find it difficult to accept it.*

*7. We also constitute a fresh Committee comprising Central Pollution*

***Control Board, Rajasthan State Pollution Control Board, Integrated Regional Office, MoEF&CC at Jaipur and District Magistrates of Ajmer and Bhilwara who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual report within one month.***

**In compliance of the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) Central Zonal Bench, Bhopal, order dated 31.07.2023, in the matter of Original Application No. 62/2023 (CZ) & 306/2023-PB, Meenu Kanwar Rathore Versus State of Rajasthan & Ors., the committee visited the complaint sites in two phases. Lease area of M/s Vikramaditya Singh Rathore located in villages- Baral, Asan, Khari ka lamba, Baadi, Jaliya, Kaniya, Hanutia, Nagar of District Beawar, Rajasthan were visited on dated 19.08.2023.**

**Lease area of M/s Abhimanyu Choudhary located in villages- Khejri, Bhimlat, Badli, Devliya kalan, Gudda Khurd and Bhinai of District Kekri, Rajasthan were visited on dated 09.09.2023. Both the visits were made in presence of Shri Sanjeet Paliwal, Amicus Curie appointed by Hon'ble NGT, Bhopal vide order dated 31.07.2023. Following members constituted the Joint Committee:**

1. Shri Mahesh Dutt Purohit, Joint Director/Scientist 'D', Regional Office, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India
2. Dr. Yogendra Kumar Saxena, Scientist 'C', Central Pollution Control Board, Regional Directorate, Bhopal
3. Shri Vikas Pancholi, SDM, Bhinai, Nominee of District Collector, Kekri
4. Shri Bharat Gurjar, SDM, Masuda, Nominee of District Collector, Beawar
5. Smt. Nisha Saharan, SDM, Gulabpura, Nominee of District Collector, Bhilwara
6. Shri Jinesh Humad, Mining Engineer, Department of Mines & Geology, Bhilwara
7. Shri Vineet Gehlot, Mining Engineer, Department of Mines & Geology, Beawar
8. Shri Pushpendra Singh, Assistant Mining Engineer, Department of Mines & Geology, Sawar
9. Shri Deepak Tanwar, EE & Regional Officer, RSPCB, Kishangarh (Nodal Officer)
10. Shri Mahesh Kumar Singh, Supt. SO, Nominee of Regional Officer, RSPCB, Bhilwara

## **A. Issues raised by complainant**

As per the order of Hon'ble NGT dated 31.07.2023, the committee verified the factual status on the issues raised by complainant: -

1. Sand Mining activities by the Lease holder in Khari Nadi river bed by creating deep trenches.
2. The Lease holder is not complying with the conditions of Environmental Clearance and Consent to Operate like plantation etc.
3. Usage of heavy machineries such as dumpers and trollers etc. by the Lease holder causing environmental disbalances.
4. Heavy loaded vehicles have damaged the village roads and no maintenance by the Lease holder.
5. Illegal Mining activities by the Lease holder in the river bed of Khari Nadi located in Villages viz., Hanutia, Jalia, Asan, Baral, Nagar, Badli, Devalia Kalan, Gudda, Mataji ka Kheda etc. and no action by the authorities.
6. Absence of demarcation by Lease holder of Mining Lease by wire fencing. Thus, violating the rules and regulation of State Government and Mining Department.
7. Illegitimate recovery of royalty by the Lease holder from villagers.
8. Flouting of the terms and conditions of mining activities by the lease holders.
9. Mining activities being carried out by M/s Vikramaditya Singh Rathore S/o Hanuwat Singh Rathore and others in Khari Nadi in villages Hanutia, Jalia, Asan, Baral, Nagar, Badli, Devliya Kalan, Gudda, Mataji ka Kheda etc.
10. Cutting of trees by the Mining Lease holder without taking permission from Competent Authority.
11. Construction of permanent weigh bridge in Khari Nadi.
12. Digging of Mining pits upto the depth of 10 feet in the river. No reclamation of the mining pits and no transplantation of saplings.
13. Transportation of river sand in overloaded manner by heavy vehicles such as dumpers etc., posing circumstances of accidents. No action taken by Administration.
14. Storage of river sand opposite to Saint Paul's School, Bijainagar on agricultural land.

Deposition of dust particles on the roads due to over speed of dumpers and damage to agricultural crops of farmers.

15. Decline of ground water level of open wells of villages due to digging of deep mining pits.
16. Construction of murram road inside the river.
17. Mining of river sand by the lease holder in area other than the mining lease area.

**B. Observations made during the visit dated 19.08.2023 at mining lease area of M/s Vikramaditya Singh Rathore (ML. No. 119/2012 )**

1. During the visit of Village Baral-II, stretches of illegal mining were observed. Tyre marks of heavy vehicles were also observed. Village- Baral-II does not lie in the mining lease area of M/s Vikramaditya Singh Rathore.

To restrict and control activities related to illegal mining of river sand in the area of M/s Vikramaditya Singh Rathore, a team of AME, Beawar and other Officials was constituted by M.E. Beawar vide letter dated 25.07.2023. The team during their visit on 24.08.2023 and 14.09.2023 reported that no transport vehicle or machinery or any person engaged in river sand mining was observed. Neither mining activity nor any movement of Bajri laden transport vehicle was observed [**Annexure-1**]. In addition to this, Assistant Mining Engineer and other officials of Mining Department, Beawar have been bounded to restrict/ stop illegal mining, transportation and storage of river sand in the area vide letter dated 21.08.23 [**Annexure-2**].

Approximately 125 trees/plants were observed at Idgah, Manshapurna Veer Hanuman Temple, Govt. Senior Secondary School Baral-II, Govt. Girls Upper Primary School, Baral-II.

2. Signs of mining activities were observed in Village- Ganeshpura, Tehsil- Hurda, District- Bhilwara, however depth of mining pits was not more than permitted depth within the lease area of M/s Vikramaditya Singh Rathore [**Annexure-3**].
3. A stock point at Village- Asan for storage of river sand has been sanctioned by Mining Department to M/s Vikramaditya Singh Rathore was also visited.

Plantation of about 400 trees/plants was observed on the bank of a pond at Khari ka lamba, Tehsil- Hurda, District- Bhilwara. Plantation of about 600 trees/ plants was also observed at Charagah land and at crematorium site of Village- Baadi, Tehsil- Bijainagar, District- Beawar.

No signs of mining activity were observed in Village- Jalia –II and Kaniya. Plantation of about 150 trees/ plants was observed on both the sides of the connecting road of Village- Kaniya, Tehsil- Bijainagar, District- Beawar. Plantation of about 60 trees/plants was also observed within the premises and outside the boundary of Govt. Senior Secondary School, Hanutia, Tehsil- Bijainagar, District- Beawar.

4. Signs of mining activities were observed in river Khari at village- Nagar, Tehsil- Bijainagar, District- Beawar. Construction of weigh bridge and kachcha road was also observed in the river bed area, however weigh bridge is not a permanent structure [Annexure-4].
5. A sanctioned stock point near Saint Paul's School, Bijainagar, District- Beawar was observed. The said stock point is about 100 m away from the school and is provided with boundary wall (5 feet AGL) all around its periphery. Use of JCBs for filling of river sand (Bajri) into dumpers is being done. Water spray arrangement for dust suppression was available. Approximately 15 trees were observed in the stock point area.

**C. Observations made during the visit dated 09.09.2023 at mining lease area of M/s Abhimanyu Choudhary (ML. No. 196/2012)**

6. During visit of village- Khejri, Tehsil- Hurda, District Bhilwara, it was observed that no sand mining activities are being carried out inside the river bed. Old Khejri trees (approx. 250) were observed inside the river bed area. It was reported by the lease holder that mining activity was carried out for only two months after the sanction of mining lease.
7. Approximately 80 plants were observed near Garwar Mata Temple, Village Bheemlat, Gram Panchayat Khejri.
8. A Stock point was observed at Village- Badli, Tehsil- Bhinai, District- Kekri. Approximately 14000 tonnes of bajri was stocked on site, covered with boundary wall and peripheral plantation of about 550 plants.
9. Sand mining was observed in the river bed in village Badli. Kachcha road was observed in

the river bed area. Rain water was accumulated in the river bed at various places. A number of open wells were also observed in the river bed. One open well of Shri Durgalal Sharma alongwith cemented room was found in the river bed area. A diversion was provided towards the well of Shri Durgalal Sharma and a pump was found installed for pumping the water to the nearby agricultural field. It was informed by the concerned Tehsildar that the wells inside the river bed are allotted to the farmers for a period of 15 years by the Revenue Department [**Annexure-5**].

Small mining pits were also observed in the river bed area of village Badli. During the visit of village Devliya Kalan, stretches of illegal sand mining activities were observed in the river bed area which is not a part of sanctioned mining lease. A resident of village Devliya Kalan Shri Ganpat Singh Rathore, informed that illegal sand mining is being carried out in the river bed area which is not sanctioned lease of M/s Abhimanyu Choudhary. Signs of mining activities in the sanctioned mining lease area were not observed in village Devliya Kalan. About 30-40 small trees have been planted in this area.

10. During the visit of village Gudda Khurd, no sand mining activity was observed in the river bed area. Permanent construction of a crematorium site and a kachcha road was observed in the river bed area.
11. Lessee has raised about 40 plants near the premises of a temple located at Bhinai, which is approximately 25 km far from the lease area.
12. As per approved mining plan, total area of 544.03 hectare of lease area has been sanctioned to M/s Vikramaditya Singh Rathore. According to Mining Plan for the year 2023-2024 sanctioned by SME, Bhilwara vide letter dated 27.02.2023, 290.144 hectare of mine area has been mined out and 362.69 hectare lease shall be probable mining area [**Annexure-3**].

After registration of Mining Lease of 196/2012, presently 0.75 hectares area in near village Baadli and Mataji Ka kheda has been mined out from the total sanctioned lease area of 342.08 hectares. Lease holder was advised to plant 855 plants during the first year according to the Mining Plan. During inspection and as submitted by lessee, 1170 plants have been planted in Khari Nadi area, near to Schools and Office of Gram Panchayat [**Annexure-6**].

13. As reported by SDM, Bhinai and Masuda, the kachcha roads area nearby Khari nadi were found damaged due to movement of heavy vehicles. Road running across the Khari nadi is

kachcha road and has been recorded in the revenue records. No permanent road was observed in the river bed area of khari nadi [Annexure-5, 7]. As reported by Tehsildar Hurda, no complaint regarding damaged roads due to overloaded bajri transport vehicles has been received [Annexure-8].

14. As per records of M. E. Beawar, no complaint regarding the illegal mining activities by the lease holder and others in the river bed of Khari Nadi located in the villages viz., Hanutia, Jalia, Nagar have been received. However, recovery of penalty has been made in following cases of illegal Bajri transportation and mining during 2017-2020:

S.No.	Illegal activity	Panchnama Date	Illegal Accused	Near village	Recovery
1	Transportation	27-6-19	Raj Bhil	Hanutiya	26400
2	Mining	24-9-18	Ramkaran Jat	Jaliya-II	46960
3	Transportation	26-2-20	Ratan Singh Rawat	Nagar	26050
4	Transportation	26-2-20	Chhotunath	Nagar	26400
5	Transportation	26-2-20	Jagdish S/o Pachuji	Nagar	26400
6	Transportation	27-2-20	Manoj	Nagar	26750

As per the report of AME, Sawar no illegal mining activities are being carried out by Lease Holder M/s Abhimanyu Choudhary in village- Badli, Devilyakalan, Gudda, Mataji ka kheda [Annexure-6]. As per report of Tehsildar Hurda, no mining activity has been reported and/or observed outside the sanctioned lease area [Annexure-8].

15. Joint demarcation has been done khasra wise in the presence of concerned Revenue Department, Mining Department and representative of lease holder as per RMMCR rules. [Annexure-9a, 9b].
16. Rs. 56/- per ton of river sand in the form of Royalty, DMFT and RSMET are being paid by the mining lease holder. Other than that, expenditures related to establishment, transportation, premium, loading charges are controlled by lease holders. As per the report of Mining Department, no illegitimate recovery of royalty by the lease holder from the

villagers has been observed [Annexure-3].

17. As per the report of ME, Beawar and AME Sawar, no cutting of trees have been carried in the lease area, small sized bushes were removed prior to excavation of river sand by the lease holders. As per report from SDM, Bhinai and Masuda, neither complaint regarding illegal cutting of trees nor any permission for cutting of trees has been received in their office [Annexure-5, 7]. During inspection, no cut down trees were observed and no such complaint has been received to SDM, Gulabpura [Annexure-8].
18. Depth of mining pits was not more than permitted depth in both the mining leases. So reclamation of the mining pits is not required [Annexure-3, 10].
19. As per report of Mining Department dated 17.07.2023, no overloaded transport vehicles were observed during inspection. It has also been reported that a close watch of such movement is kept during random inspection in the area [Annexure-11]. It has also been reported during visit dated 28.01.23, weigh bridges (02) have been established so that e-ravanna may be issued for vehicles carrying river sand [Annexure-12]. As per reported by SDM, Bhinai, legal cases are filed in the matter of overloaded Bajri transportation by Police Station, Bhinai, details of the same are as under [Annexure-5]:

S. No.	Year	Number of cases filed	Number of defaulters	Details of quantity of overloaded bajri seized
1	2022	9	13	396 ton
2	2023	5	9	25 ton

As per report of SDM, Masuda, no legal cases have been filed for overloaded transportation of river sand by Police Station, Bijainagar in the year 2022-23 [Annexure-7]. As reported by Station Police Officer, Gulabpura no accident due to overloaded bajri transport vehicles has been reported since last 2 years [Annexure-8].

20. As per report of Mining Department dated 17.07.23, no mining pit was found deep more than 03 meter and was well above the ground water level. Water level in open wells near the lease area within the villages was 5-6 feet deep only, which reveals that water scarcity does not prevails in the area [Annexure-11].

As reported by Incharge, Ground Water Scientist, Ground Water Department, Bhilwara, during ground water survey conducted in the year 2023, ground water level was found to be between 2.30 meter to 12.50 meter in nearby villages from Khari nadi. It has also been reported by PHED, Gulabpura that 15 numbers of open wells/tube wells are present in river bed area of Khari nadi, however water of these wells is not potable **[Annexure-8]**.

As per report from SDM, Masuda open wells established with the river bed area have not been recorded in the revenue records under the jurisdiction of the office **[Annexure-7]**.

21. As per the report of Mining department, illegal mining activities are being carried out by local villagers during night time. As per ME, Beawar, 55 cases of illegal transportation and 02 cases of illegal mining from the year 2017-18 to August, 2023 have been reported in Tehsil- Bijainagar, District Beawar and Rs. 22.71 lacs have been recovered from the defaulters and 05 FIRs have been made in the respective police stations. No illegal mining activities are carried out by either of the lease holder **[Annexure-10]**.

As per A.M.E., Bhilwara report dated 19.08.2023, 88 cases of illegal mining, transportation and storage have been reported during the period from 2017-18 till date in the lease area of Tehsil- Hurda District- Bhilwara. An amount of Rs. 80.74 lacs have been recovered and 20 FIRs have been made **[Annexure-13]**.

As per A.M.E., Sawar, during the period from 2017-18 to present date, 60 cases of illegal mining, transportation and storage have been reported in the lease area of Tehsil- Bhinai, District- Kekri. An amount of Rs. 547.55 lacs have been recovered and 08 FIRs have been made **[Annexure-6]**.

22. Photographs of the site visit are attached as **Annexure-14**.



M.D. Purohit  
Joint Director/Scientist "D"  
MoEF & CC, Govt. of India.



Dr. Yogendra Kumar Saxena  
Scientist 'C', CPCB  
Regional Directorate, Bhopal



Vikas Pancholi  
SDM, Bhinay  
Nominee of District Collector, Kekri



Bharat Gurjar  
SDM, Masuda  
Nominee of District Collector, Beawar



Nisha Saharan  
SDM, Gulabpura  
Nominee of District Collector, Bhilwara.




Jinesh Humad  
Mining Engineer  
Department of Mines & Geology, Bhilwara



Vineet Gahlot  
Mining Engineer  
Department of Mines & Geology, Beawar



Pushendra Singh  
Asst. Mining Engineer  
Department of Mines & Geology, Sawar



Deepak Tanwar  
EE & Regional Officer,  
RSPCB, Kishangarh (Nodal Officer)



Mahesh Kumar Singh  
SSO, Nominee of Regional Office  
Regional Office, RSPCB, Bhilwara

ATTENDANCE SHEET




Visit of Amicus-Curie along with members of Date: 19/08/2023  
 Committee constituted by Honble NGT vide order  
 dt. 31.07.2023 in the matter of O.A. No. 263/2023  
 Meenu Kanwar Rathore Vs. State of Raj. & Ors.

SR No.	NAME OF OFFICIAL	POST	DEPARTMENT	SIGNATURE
1.	Sh. Vikas Pancholi	SDM	Bhinai (Rev.)	
2.	Bharat Gujar	SDM	Masuda (Rev.)	
3.	Pudhendra Singh	AME	DMG	
4.	MAHESH DUTTA POKHRIYAN	Sub-D	MOEFSCC, Govt	
5.	SANJEET PALIWAL	AMICUS Curiae (Joint secretary)		
6.	DEEPAK TANWAR.	EE&R.O.	RSPCB, Kishangarh.	Deepak Tanwar
7.	JINESH HUMAD	ME, Bhilwara	Deptt. of mines & Geo.	
8.	VINEET GAHLOT	MG, Bhilwara	DMG	
9.	Dr. Yogendra Kumar Saxena	CPCB A.D, Bhopal Secretary	CPCB, RP Bhopal	
10.	Bhanwar Lal Sabana.	AME Bhilwara.	mining Bhilwara	
11.	Narendra Kumar	JGG	RSPCB, Kishangan	
12.	Mahesh Kumar Singh	SSD	RSPCB, Bhilwara	
13.	HITESH KUMAR	So	RSPCB Kishangan	
14.	Nisha Saharan	SDM	Gulabpura (Rev.) Bhilwara	

# ATTENDANCE SHEET

Date :- 09/09/2023

Visit of Amicus-Curie along with members of Committee  
constituted by Hon'ble NAT vide order dt. 31/07/2023  
in the matter of O.A. NO. 263/2023(PB) → 62/2023(CZ)  
Meenu Kanwar Rathore Vs. State of Raj. & Ors.

S/No.	Name of Official	Post	Department	Signature
1.	SANJEET PALIWAL	AMICUS	COURT	
2.	<del>Dr. Yogendra Kumar</del> Srivastava	CPCB Sci-C	CPCB, RD, Bhopal	
3.	MAHESH JUGH PO ROKHT	<del>Sci-D</del>	MOEF-DLO, DRO I	
4.	Jinesh Humad	ME, Bhilwara	mines & Geo., Govt of Raj.	
5.	Vineet Gahlot	ME, Beawer	mines & Geology, Dept.	
6.	Ranjeet Yadav	MT, Hudaq.	Revenue	
7.	DEEPAK TANKWAR	EE & R.O.	RSPCB, Kishangarh.	
8.	MAHESH KUMAR SINGH	SSO	RSPCB, Bhilwara	
9.	Pushpandre Singh	AME	DMG	
10.	Nitin Shrivastava	Astt. Engg.	watershed Deptt.	
11.	अनिल कुमार शर्मा	TDR	अनिल	
12.	Ramesh chandra murya	N.T. 	-	
13.	Bhanwar Lal Labana.	Assistant Mining Engineer Bhilwar	mining	

## मौका-रिपोर्ट

आज दिनांक 17.07.2023 को श्री जय. के. गुरुवक्षाणी, (अधीक्षण खनि अभियन्ता, अजमेर वृत, अजमेर), श्री जिनेश हुमड़ (खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा), श्री विनीत गहलोत (खनि अभियन्ता, ब्यावर), श्री खरता राम पारगी (सहायक खनि अभियन्ता, ब्यावर), श्री पुष्पेन्द्र सिंह जोधा (सहायक खनि अभियन्ता, सावर), श्री देशराज भीणा (खनि कार्यदेशक-1, ब्यावर) व श्री शिवोन विट्टो (खनि कार्यदेशक-1, सावर) स्थान एवं भू विज्ञान के अधिकारी व तकनीकी कर्मचारी एवं श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अजमेर व राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, किशनगढ़, अजमेर द्वारा संयुक्त रूप से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के ऑरिजनल एप्लिकेशन संख्या 263/2023 के आदेश दिनांक 25.05.2023 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना के क्रम में श्रीमान कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश क्रमांक कअ/सामान्य/एनजीटी/2023/80 दिनांक 13.07.2023 की पालना में खनन पट्टा संख्या 119/2012 का मौका देखा गया, जो कि कार्यालय खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा से स्वीकृत होकर प्रभावशील है। खनन पट्टाधारक श्री विक्रमादित्य सिंह राठौड़ के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टे में आने वाले खसरे जो कि इस कार्यालय क्षेत्राधिकार के विजयनगर तहसील जिला अजमेर के ग्राम जालिया-1, नगर, चौसला एवं सहायक खनि अभियन्ता, सावर के क्षेत्राधिकार में आने वाले खनन पट्टा संख्या 196/2012 श्री अभिमन्यु सिंह खनिज बजरी से संबंधित ग्राम बड़ली, देवलीयाकलां, गुड़ा, माताजी का खेड़ा तहसील भीनाय जिला अजमेर में से होकर गुजरने वाली खाशी नदी का निरीक्षण किया गया।

वक्त निरीक्षण दौरान मौके पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सरकार द्वारा जारी पर्यावरण अनुमति की शर्तों के अनुसार वर्षाकाल के दौरान खनिज बजरी का खनन प्रतिबन्ध होने से खनन कार्य बन्द मिला। मौके पर नदी क्षेत्र में जगह-जगह खनिज बजरी के खनन पिट है, जिनमें कुछ में वर्षा का पानी भरा हुआ मिला। मौके पर किसी भी खनन पिट में 03 मीटर से ज्यादा गहराई में खनन कार्य किया हुआ नहीं पाया गया। मौके पर किसी भी खनन पिट में भूमि की ग्राउण्ड वाटर लेवल से ज्यादा खनन किया जाना नहीं मिला। साथ ही आस-पास की भूमि का जलस्तर कुओं में देखा गया तो मात्र 5-6 फीट की गहराई पर पानी (जलस्तर) की उपलब्धता पायी गयी। इससे यह प्रतीत होता है कि क्षेत्र में पानी का संकट गहराया हुआ नहीं है। खनन पट्टा क्षेत्र में पक्की सड़क का निर्माण नहीं होना पाया गया। मौके पर खनन पट्टा नदी क्षेत्र में कोई भी बड़ा व पुराना वृक्ष को काटा या हटाया जाना नहीं मिला। परन्तु खनन पट्टा संख्या 119/2012 श्री विक्रमादित्य सिंह के खनन पट्टा क्षेत्र में नदी की 3/4 चौड़ाई से अधिक खनन किया जाना पाया गया, जो कि सविदा की शर्तों का उल्लंघन है, जिसके क्रम में मौके पर श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता, अजमेर वृत द्वारा खनि अभियन्ता, ब्यावर को निर्देश दिये गये कि उक्त खनन पट्टाधारी को सविदा की शर्तों के उल्लंघन करने पर नियमानुसार चेतना-पत्र जारी करने वारंते संबंधित खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा को सूचित करावें।

मौके पर वक्त निरीक्षण पर्यावरण संरक्षण हेतु पट्टेधारी श्री विक्रमादित्य एवं श्री अभिमन्यु चौधरी द्वारा विभिन्न स्थलों पर पोषारोपण किया हुआ है, जो निम्नानुसार है:-

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जालिया-1

2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नगर
3. कार्यालय ग्राम पंचायत, हनुतिया,
4. खनन पट्टाधारी श्री अभिमन्यू चौधरी का बजरी स्टॉक लॉकेशन ग्राम बड़ली, विजयनगर-केकड़ी रोड़ पर।
5. राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, गिनाय
6. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गिनाय
7. कार्यालय ग्राम पंचायत, गिनाय
8. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बड़ली
9. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देवलीकलां
10. राजकीय अग्नेयकर छात्रावास, गिनाय।

मौके पर कार्यालय खनि अभियन्ता, व्यावर क्षेत्राधिकार में खनन पट्टा संख्या 119/2012 हेतु स्वीकृत खनिज बजरी का स्टॉक पाइन्ट नगर ग्राम शिखरानी में स्थित भूमि खसरा संख्या 1766/1394 रकबा 0.3776 हैक्टर एवं ग्राम आसन में स्थित भूमि खसरा संख्या 580/20 रकबा 0.6738 हैक्टर तहरील विजयनगर जिला अजमेर में होना पाया गया, जिन्हे क्रमशः दिनांक 19.09.2022 व 27.09.2022 को स्वीकृत किया गया है। जहाँ खनिज बजरी का भण्डारण किया हुआ है। मौके पर उपस्थित खनन पट्टाधारी प्रतिनिधि श्री महेन्द्र सिंह ने बताया कि यह हमारा सॉयल्टी पेड खनिज का स्टॉक है। यहां से जो भी वाहन खनिज बजरी लेकर निर्गमन करेगा/डिस्पेच करेगा, उसका वाहन मालिक/चालक हमको खनिज बजरी की कीमत चुकायेगा। प्रकरण में अवैध वसूली जैसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है। साथ ही खनन पट्टा प्रतिनिधि द्वारा उक्त खनन पट्टा संख्या 119/2012 हेतु MoEF, नई दिल्ली से प्राप्त पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 03.02.2022 एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर दिनांक 16.06.2023 से प्राप्त कन्सेन्ट टू ऑपरेट प्रस्तुत किया गया, जो कि दिनांक 26.07.2023 तक वैध है।

वक्त निरीक्षण आस-पास ग्रामीणों से पूछताछ करने पर खनिज बजरी निर्गमन करने वाले ट्रैक्टर-ट्रौली वालो से मारपीट करने का तथ्य मौके पर सामने नहीं आया। मौके पर खनन पट्टा का साईन बोर्ड लगा होना पाया गया। क्षेत्र में वक्त निरीक्षण भी कोई ओवरलोड खनिज परिवहन का प्रकरण सामने नहीं आया है, फिर भी क्षेत्र में आकस्मिक दृष्टि दी जाकर निगरानी रखी जाती है। पूर्व में भी समय-समय पर जांच की जाती रही है एवं ऐसा मामला आने पर कार्यवाही भी की जाती रही है।

  
(पुणेन्द्र सिंह जोधा)  
सहायक खनि अभियन्ता,  
सावर

  
(विनीत गहलोत)  
खनि अभियन्ता,  
व्यावर

  
(जय. के. गुरुबक्षणी)  
अधीक्षण खनि अभियन्ता,  
अजमेर वृत, अजमेर